राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में विभिन्न महत्वपूर्ण परिपत्र एवं दिशा निर्देश

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/ 53802-34 जयपुर दिनांक 10/7/18

समस्त जिला कलक्टर

....

विषय– भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों /परिपत्रों की प्रतिया भिजवाने के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में जिलो में पदस्थापित उपखण्ड अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है। जैसा कि विदित है जाति प्रमाण पत्र एक महत्तपूर्ण दस्तावेंज है एवं उक्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं राजकीय सेवाओं में नियोजन आरक्षण के प्रावधानों के अर्न्तगत दिया जाता है। अतः इस दृष्टिकोण को मध्यनजर रखतें हुयें भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने वाली संस्थाओं तथा नियुक्ति हेतु नियोजकों के लिये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश /परीपत्र जारी किये गये है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.स.	परिपत्र क्रमांक तथा दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	35/72–आर.यू(एससीटीवी) 02 मई 1975	धर्म परिवर्तन एवं दत्तक ग्रहण संबधित दिशा–निर्देश	1–4
2.	12025/2/76–एससीटीवी–1 दिनांक 22 मार्च 1977	अनुसूचित जाति जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण	5–7
3.	प0 15(21)कार्मिक/क–5/77 जयपुर दिनांक 6 मार्च 1978	अर्न्तजातिय विवाह के युगलों की जाति प्रमाण पत्र संबधित दिशा निर्देश (परिशिष्ट क से ङः तक)	8–17
4.	12025/1/82एससीएण्डबीसीडी दिनांक 29 जून 1982	अनुसूचित जाति जनजाति को जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबध में।	18–19
5.	बीसी–16014/1/82एससीएण डबीसीडी दिनांक 18 नवम्बर 1982	अन्य राज्य से माईग्रेट होकर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में।	20
6.	बीसी–16014/1/82एससीएण डबीसीडी दिनांक 06अगस्त 1984	अन्य राज्य से माईग्रेट होकर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में।	21–22
7.	बीसी–16014/1/82एससीएण डबीसीडी दिनांक 22 फरवरी 1985	अन्य राज्य से माईग्रेट होकर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में।	23
8.	एफ11(08)( )आरएण्डपी/सकवि / 22422–48 दिनांक 04 अप्रेल 1990	माईग्रेट होने पर जाति प्रमाण के संबध में।	24–25

(2)

9.	एफ11(08)( )आरएण्डपी / सकवि / 86895–931 दिनांक 08 नबम्बर 1994	गैर हिन्दु वर्ग के व्यक्तियों को अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में।	26–27
10.	एफ11(25)(06)आरएण्डपी / सकव / 305 दिनांक 03 जनवरी 2000	रजपूत, पायक, रामगढ़ीया जाति के संबध में स्पष्टीकरण	28–29
11	एफ 11(141)आरएण्डपी / सकवि / 43566–635 दिनांक 13 नबम्वर 2000	उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन व स्वीकृति	30–31
12	एफ 09(08)डीओपी / ए–5 / 2000 दिनांक 05 मार्च 2001	अन्य पिछडा वर्ग को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण	32–33
13	प.9 / 17 / कार्मिक / क–5 / 1995 दिनांक 21 अक्टूबर 2002	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण	34
14.	36022 / 1 / 2007 –ईएसटीटी दिनांक 20 मार्च 2007	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों के नौकरियों में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबध में।	35–36
15	एफ 11(08)( )आरएण्डपी / सान्याअवि / 9334–68 दिनांक 24 फरवरी 2009	अनुसूचित जाति जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण	37
16.	प.6(10)प्र.सु.वि. / अनु–3 / 2011 दिनांक 18 मार्च 2011	फर्जी / शंकास्पद जाति प्रमाण पत्र के विरूद्व अपील कर निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन करने के आदेश।	38–40
17	एफ 11( )( )आरएण्डपी / सान्याअवि / 127376–409 दिनांक 24 जनवरी 2013	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध मे दिशा निर्देश	41–60
18	प.6(10)प्र.सु.वि. / अनु–3 / 2011 दिनांक 23 जुलाई 2015	फर्जी / शंकास्पद जाति प्रमाण पत्र के विरूद्व अपील कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन करने के आदेश।	61–62
19	एफ11()() एससीएसटीओबीसीएसबीसी / जा.प.प्र. / सान्याअवि / 15 / 54159 दिनांक 09 सितम्बर 2015	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध मे दिशा निर्देश	63–86
20	एफ11()() एससीएसटीओबीसीएसबीसी / जा.प.प्र. / सान्याअवि / 15 / 63606–726 दिनांक 20 अक्टूबर 2015	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध मे दिशा निर्देश	87
21	No-36011 / 1 / 2012–Est(Re) दिनांक 08-10-2015 एवं 14.03.2016	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबध में	88–91

22	प.6(10)प्र.सु.वि. / अनु–3 / 2011 दिनांक 18.10.2016	फर्जी / शंकास्पद जाति प्रमाण पत्र के विरूद्ध अपील कर निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन करने के संशोधित आदेश।	92–93
23	एफ11()() एससीएसटीओबीसीए सबीसी / जा.प.प्र. / सान्याअवि / 15 / पार्ट–3 / 7201 दिनांक 21 फरवरी 2017	स्कूल स्तर पर कक्षा 5–से 8 तक जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।	94–95
24	एफ11()() एससीएसटीओबीसीए सबीसी / जा.प.प्र. / सान्याअवि / 15 / पार्ट–3 / 10232 दिनांक 03 मार्च 2017	जाति प्रमाण पत्र ऑन लाईन जारी करने संबधित परिपत्र	96
25	एफ11()() एससीएसटीओबीसीए सबीसी / जा.प.प्र. / सान्याअवि / 15 / पार्ट–3 / 31927 दिनांक 05 जून 2017	स्कूल स्तर पर कक्षा 5 से 8 तक जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत संशोधित परिपत्र ।	97–103
26	एफ11()() एससीएसटीओबीसीए सबीसी / जा.प.प्र. / सान्याअवि / 15 / पार्ट–3 / 37363 दिनांक 30 जून 2017	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध मे परिपत्र	104–105
27	एफ11(125) / आरएण्डपी / सकवि 5353 दिनांक 23 जनवरी 2018	दरोगा वजीर रावणा राजपूत को ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबध में स्पष्टीकरण	106
28	एफ11(8) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2018 / 12733–65 दिनांक 15 फरवरी 2018	माईग्रेट होने पर जाति प्रमाण के संबध में।	107--117
29	एफ 11(125)एमबीसी / आरएण्डपी / सान्याअवि / 15265 दिनांक 23.02.2018	अतिपिछडा वर्ग के व्यक्तियों को अन्य पिछडा वर्ग के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में।	118
30	एफ 11(125)एमबीसी / आरएण्डपी / सान्याअवि / 15633 दिनांक 27.02.2018	अतिपिछडा वर्ग के व्यक्तियों को अन्य पिछडा वर्ग के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में संशोधित आदेश।	119
31	एफ 11(125) (12)(13) (14) ओबीसी / सान्याअवि / 46236 दिनांक 12.06.2018	पुजारी सेवक जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण	120–121
32	एफ 11(125)ओबीसी / नागारची–नमामी / सान्याअवि / 2013 / 48859 दिनांक 22.06.2018	नगारची दमामी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण	122–123

(5)

उक्त दिशा निर्देश / परिपत्र आपको पूर्व में भी समय समय पर भिजवाये जाते रहे है। इसी अनुक्रम में उक्त दिशा निर्देश / परिपत्र की प्रतियों का सेट आपको पुनः भिजवाया जा रहा है। **कृपया उक्त समस्त दिशा निर्देश / परिपत्रों का एक–एक सेट आपके जिलें में पदस्थापित समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने स्तर से छायाप्रति करवा कर अविलम्ब भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे** तथा समस्त संबधित को निर्देशित किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व तथा किन्ही नियोक्ताओं / शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया जाता है तो तत्काल निर्धारित समय सीमा में संबधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को इस संबध में बार बार स्मरण पत्र प्राप्त होते रहते है कि जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबधित जिला कलक्टर द्वारा समय पर नही किया जाता है तथा रिपोर्ट समय पर नही भिजवायी जाती है, इससे आवेदकों एवं नियोक्ताओं / शैक्षणिक संस्थाओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है।

अतः उपरोक्त सारणी अनुसार प्रेषित समस्त दिशा निर्देश / परिपत्रों का भलि–भातिं अध्ययन कर निर्धारित समय सीमा में एवं नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया जाना सुनिश्चित करे।

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

(जे.सी.महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः–एफ 11 / SC ST OBC SBC / जा.प्र.प / सान्याअवि / 12 / 53835–36 जयपुर दिनांक 10/02/16

प्रतिलिपी :–

1. ए.सी.पी. मुख्यावास जयपुर को भेजकर निर्देशीत किया जाता है कि उक्त समस्त परिपत्रों को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें।
2. गार्ड फाईल

(डॉ.समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

No. 35|1|72-R.U. (SCT.V)

Government of India|Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs|Grih Mantralaya

To

The Chief Secretaries of all State Governments and Union Territory Administration.

New Delhi-110001, Dated the 2 May, 1975/ 12 Vaisakha, 1897.

Subject : Issue of Scheduled Castes and Scheduled Tribe certificates.

Sir,

I am directed to state that complaints are often received that Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates are given to persons who do not in fact belong to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes. It is necessary, therefore, that the Certificate issuing authorities should make a proper verification before they actually issue such a certificate.

2. In this connection a set of points which should be taken into account are enclosed for the guidance of those empowered to issue Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates. It is requested that these instructions may be circulated amongst them.

Yours faithfully,

(O. K. MOORTHY)

Director General, BCW

No. 35|1|72|R.U. (SCT.V), New Delhi-110001 dated the 2 May, 1975/12 Vaisakha, 1897

Copy forwarded for necessary action to:—

1. All Ministries|Deptts. of the Govt. of India.
2. All attached and subordinate offices of M.H.A.
3. The Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011.
4. The Deptt. of Personnel and Administrative Reforms, Estt. (SCT) Section, New Delhi.
5. The Commissioner for Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Ramakrishnapuram New Delhi.

(O. K. MOORTHY)

Director General, BCW

Government of India|Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs|Grih Mantralaya

Enclosure to circular letter No. 35|1|72-R.U. (SCT.V dated the April, 1975|Vaisakha, 1897

Issue of Scheduled Caste and Tribe Certificate-Point to be observed.

1. *General:* (Applicable in all cases)

Where a person claims to belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by birth it should be verified:—

(i) that the person and his parents actually belong to the community claimed;

(ii) that this community is included in the Presidential Orders specifying the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to the concerned State.

(iii) that the person belongs to that State and to the area within that State in respect of which the community has been scheduled;

(iv) if the person claims to be a Scheduled Castes, he should profess either the Hindu or the Sikh religion;

(v) if the person claims to be a Scheduled Tribe, he may profess any religion.

2. *Cases of migration*

(i) where a person migrates from the portion of the State in respect of which his community is scheduled to another part of the same State in respect of which his community is not scheduled, he will continue to be deemed to be a member of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, as the case may be, in relation to that State;

(ii) where a person migrates from one state to another, he can claim to belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe only in relation to the State to which he originally belonged and not in respect of the State to which he has migrated.

6

Claims through marriage.

The guiding principle is that no person who was not a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by birth will be deemed to be a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe merely because he or she had married a person belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

Similarly a person who is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe would continue to be a member of that Scheduled Caste or Scheduled Tribe as the case may be, even after his or her marriage with a person who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

4. *Cases of conversion and reconversion:*

(i) Where a Scheduled Caste person gets converted to a religion other than Hinduism or Sikhism and then reconverts himself back to Hinduism or Sikhism, he will be deemed to have reverted to his original Scheduled Caste, if he is a accepted by the members of that particular caste as one among them.

(ii) In the case of a descendant of a Scheduled Caste convert, the mere fact of conversion to Hinduism or Sikhism will not be sufficient to entitle him to be regarded as a member of the Scheduled Caste to which his forefathers belonged. It will have to be established that such a convert has been accepted by the members of the caste claimed as one among themselves and has thus become a member of that caste.

5. *Cases of adoption:*

Great care has to be exercised in dealing with cases where a person claims to be Scheduled Caste on the ground that he has been adopted by a Scheduled Caste person. The validity of the adoption has to be clearly established before any caste certificate can be given. It is for the party to prove his claim by cogent and reliable evidence.

(i) The requirements of valid adoption are given in sections 6 to 11 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (relevant extracts of which are attached). The actual giving and taking of the child in adoption is a mandatory requirement and thereafter the adopted child is deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes and the child severs all ties with the family of his or her birth. Ordinarily, no child who has attained the age of 15 years or who is married can be given in adoption unless there is a custom or usage applicable to the parties.

(ii) In deciding whether an adoption is valid, the certificate issuing authority should satisfy himself that all the requirements of Law have been complied with. He should also take into account the behaviour of the child after adoption whether he physically lives with and is supported by his adoptive parents and receives no financial help from his original parents. In case these conditions are not satisfied, the certificate should be refused.

(iii) Where the case relates to an adoption of a married person or of a person of the age of 15 years and above, the certificate shall be required to be given by the Distt. Magistrate who shall, after making due enquiries as to the validity of the adoption and as to whether such adoption is permitted by a custom or usage applicable to the parties, make an endorsement to that effect on the certificate. Such custom or usage should have been continuously and uniformally observed for a long time and obtained the force of law among the Hindus of that particular area, or that community, group or family provided that the custom or usage is certain and not unreasonable or apposed to public policy and in the case of custom or usage in respect of a particular family, that the custom or usage has not been discontinued. In addition it should be verified that all other conditions for a valid adoption, including the physical transfer of the adopted, person to the family of the adoptive parents and that he has severed all ties with the original parents are fulfilled.

3

Extracts from "The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956"

(78 of 1956)

CHAPTER II—Adoption

Requisites of a valid adoption

6. No adoption shall be valid unless—

(i) the person adopting has the capacity, and also the right, to take in adoption;

(ii) the person giving in adoption has the capacity to do so,

(iii) the person adopted is capable of being taken in adoption; and

(iv) the adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this chapter.

Capacity of a male Hindu to take in adoption

7. Any male Hindu who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take a son or a daughter in adoption :

Provided that, if he has a wife living, he shall not adopt except with the consent of his wife unless the wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.

EXPLANATION : If a person has more than one wife living at the time of adoption, the consent of all the wives is necessary unless the consent of any one of them is unnecessary for any of the reasons specified in the preceding proviso.

Capacity of a female Hindu to take in adoption

8. Any female Hindu—

(a) who is of sound mind,

(b) who is not a minor, and

(c) who is not married or if married, whose marriage has been dissolved or whose husband is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, has the capacity to take a son or daughter in adoption.

Persons capable of giving in adoption

9. (1) No person except the father or mother or the guardian of a child shall have the capacity to give the child in adoption.

(2) Subject to the provisions of sub-section (3) and sub-section (4), the father, if alive, shall alone have the right to give in adoption, but such right shall not be exercised save with the consent of the mother unless the mother has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.

(3) The mother may give the child in adoption if the father is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of a competent jurisdiction to be of unsound mind.

(4) Where both the father and mother are dead or have completely and finally renounced the world or have abandoned the child or have been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind or where the parentage of the child is not known, the guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court to any person including the guardian himself.

(5) Before granting permission to a guardian under sub-section (4), the court shall be satisfied that the adoption will be for the welfare of the child, due consideration being for this purpose given to the wishes of the child having regard to the age and understanding of the child and that the applicant for permission has not received or agreed to receive and that no person had made or given or agreed to make or give to the applicant any payment or reward in consideration of the adoption except such as the court may sanction.

Explanation—For the purposes of this section—

(i) the expression "father" and "mother' do not include an adoptive father and an adoptive mother.

[illegible] guardian means a person having the care of the person of a child or of both his [illegible] person and property and includes

[illegible] a guardian appointed by the will of the child's father or mother, and

(b) a guardian appointed or declared by a court;

(ii) court means the city civil court or a district court within the local limits of whose jurisdiction the child to be adopted ordinarily resides.

Persons who may be adopted.

10. No person shall be capable of being taken in adpotion unless the following conditions are fulfiled, namely:—

(i) he or she is a Hindu;

(ii) he or she has not already been adopted;

(iii) he or she has not been married, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who are married being taken in adoption;

(iv) he or she has not completed the age of fifteen years, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who have completed the age of fifteen years being taken in adoption.

Other complied-Conditions for a valid adoption

11. In every adoption, the following conditions must be complied with:—

(i) if the adoption is of a son, the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu son, son's son or son's son's son (whether by legitimate blood relationship or by adoption) living at the time of adoption;

(ii) if the adoption is of a daughter, the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu daughter or son's daughter (whether by legitimate blood relationship or by adoption) living at the time of adoption:

(iii) if the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least twenty-one years older than the person to be adopted;

(iv) if the adoption is by a female and the person to be adopted is a male, the adoptive mother is at least twentyone years older than the person to be adopted.

(v) the same child may not be adopted simultaneously by two or more persons;

(vi) the child to be adopted must be actually given and taken in adoption by the parents or guardian concerned or under their authority with intent to transfer the child from the family of its birth or in the case of an abandoned child or a child whose parentage is not known, from the place or family where it has been brought up to the family of its adoption:

Provided, that the performance of *datta homam* shall not be essential to the validity of an adoption.

(9)

(2)

No. BC. 12025|2|76-SCT-I

Government of India|Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs|Grih Mantralaya

To

The Chief Secretaries to

All State Governments|Union Territory Administrations.

New Delhi-110001, the 22 March, 1977;
Chaitra, 1898

SUBJECT:—*Issue of Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates—Clarifications regarding.*

Sir,

I am directed to say that many instances have come to the notice of this Ministry wherein certificates of belonging to a particular Scheduled Caste|Tribe have not been issued strictly in accordance with the principles governing the issue of such certificates. This is presumably due to inadequate appreciation of the legal position regarding the concept of the term "residence" on the part of the authorities empowered to issue such certificates.

2. As required under Articles 341 and 342 of the Constitution, the President has, with respect to every State and Union Territory and where it is State after consultation with the Governor of the concerned State, issued orders notifying various Castes and Tribes as Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to that State or Union Territory from time to time. The inter-state area restrictions have been deliberately imposed so that the people belonging to the specific community residing in a specific area, which has been assessed to qualify for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe status, only benefit from the facilities provided for them. Since the people belonging to the same caste but living in different State|Union Territories may not necessarily suffer from the same disabilities, it is possible that two persons belonging to the same caste but residing in different States|U.Ts may not both be treated to belong to Scheduled Caste|Tribe or *vice-versa*. Thus the residence of a particular person in a particular locality assumes a special significance. This residence has not to be understood in the literal or ordinary sense of the word. On the other hand it connotes the permanent residence of a person on the date of the notification of the Presidential Order scheduling his caste|tribe in relation to that locality. Thus a person who is temporarily away from his permanent place of abode at the time of the notification of Presidential Order applicable in his case, say, for example, to earn a living or seek education, etc., can also be regarded as a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, as the case may be, if his caste|tribe has been specified in that Order in relation to his State|U.T. But he cannot be treated as such in relation to the place of his temporary residence notwithstanding the fact that the name of his caste|tribe has been scheduled in respect of that area in any Presidential Order.

3. It is to ensure the veracity of this permanent residence of a person and that of the caste|tribe to which he claims to belong that the Government of India has made a special provision in the proforma prescribed for the issue of such certificate. In order that the certificates are issued to the deserving persons it is necessary that proper verification based primarily on revenue records and if need be, through reliable enquiries, is made before such certificates are issued. As it is only the Revenue Authorities who, besides having access to the relevant revenue records are in a position to make reliable enquiries, Government of India insists upon the production of certificates from such authorities only. In order to be competent to issue such certificates, therefore, the authority mentioned in the Government of India (Department of Personnel and Administrative Reforms) letter No. 13|2|74-Est (SCT) dated the 5th August,t1975, (copy enclosed) should be the one concerned with the locality in which the person applying for the certificate and his place of permanent abode at the time of the notification of the relevant Presidential Order. Thus the Revenue

(8)

Authority of one District would not be competent to issue such a certificate in respect of persons belonging to another district. Nor can such an authority of one State|UT issue such certificates in respect of persons whose place of permanent residence at the time of the notification of a particular Presidential Order, has been in a different State|Union Territory. In the case of persons born after the date of notification of the relevant Presidential Order, the place of residence for the purpose of acquiring Scheduled Caste or Scheduled Tribes status, is the place of permanent abode of their parents at the time of the notification of the Presidential Order under which they claim to belong to such a caste|tribe.

4. It is understood that some State Governments| Union Territory Administrations have empowered all their Gazetted Officers to issue such certificates and ever Revenue Authorities issue certificates on the basis of the certificates issued by Gazetted Officers, M.Ps. and M.L-As, etc. If such a practice is followed, there is a clear danger of wrong certificates being issued, because in the absence of proper means of verification such authorities can hardly assure the intrinsic correctness of the facts stated in such certificates. In order to check the issuance of false certificates, the question of verification assumes all the more importance.

5. All the State Governments|Union Territory Administrations are, therefore, requested to streamline their respective procedures for issuing such certificates so as to conform to the above instructions as well as to those isued from time to time. Where Revenue Authorities have been empowered to issue certificates on the basis of a certificate issued by an M.P., M.L.A., Gazetted Officer, etc., they would do so only after having made proper verifications and after having satisfied themselves of the correctness of such certificates.

Yours faithfully,
(O. R. SRINIVASAN)
Under Secretary to the Government of India)
Tel. No. 381843

No. BC. 12025|2|76-SCT.I

March, 1977
Phalguna, 1898

Copy to:—

1. The Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of India, with reference to their U.O. No. D.2014|76-Est. (SCT), dated the 8th July, 1976. They are requested to make necessary amendments to the Broc... the reservation for Scheduled Castes and Sc... Tribes by incorporating, where necessary, the... tion stated in the foregoing paragraphs.

2. Director, Institute of Sectt. Training and M... agement, West Block No. 1, Wing No. 6, Ra... krishnapuram, New Delhi-110022 with reference... his letter No. 12|4|76-ARRNG, dated the 21st Feb... bruary, 1976.

3. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.

4. All Ministries|Departments of the Govt. of India.

5. All Zonal Directors|Deputy Directors.

6. Commissioner for Scheduled Castes and S... duled Tribes, Ramakrishnapuram, New Delhi.

(O. R. SRINIVASAN)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 381843

COPY

Letter No. 13|2|74-Est. (SCT)

Government of India|Bharat Sarkar
Cabinet Secretariat|Mantrimandal
Sachivalay

Department of Personnel and Administrative Reforms

(Karmik Aur Prasashanik Sudhar Vibhag)
New Delhi-110001, the 5th August, 1975

To

The Chief Secretaries of
All State Governments and Union Territory Administrations.

SUBJECT:—*Verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes—Form of caste certificate—Amendments to.*

Sir,

I am directed to say that candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes seeking employment to posts|services under the Central Government are required to produce a certificate in the prescribed form from one of the prescribed authorities in support of their claim. A list of the prescribed authorities in this regard is enclosed for information. The form of caste certificate has now been slightly revised. The revised form of caste

...e is enclosed. I am to request that the ... form of caste certificate may please be ... to the notice of the authorities under the ... Government who are empowered to issue such ...ates.

Sd./- J. S. AHLUWALIA
Under Secy. to the Govt. of India

...3|2|74-Est.(SCT) New Delhi-110001,
5th August, 1975

...py forwarded to U.P.S.C. for information with ... to their letter No. 26|43|74-EI(B) dated ...-1975.

... of authorities empowered to issue certificates of ...fication.

...strict Magistrate|Additional District Magis-...ollector|Deputy Commissioner|Additional De-puty Commissioner|Deputy Collector|1st Class Stipendary Magistrate|City Magistrate|*Sub-Dvisional Magistrate|Taluka Magistrate|Executive Magistrate| Extra Assistant Commissioner.

(*not below the rank of 1st Class stipendary Magistrate)

2. Chief Presidency Magistrate|Additional Chief Presidency Magistrate|Presidency Magistrate.

3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and|or his family normally resides.

5. Administrator|Secretary to Administrators|Development Officer (Lakshadweep Islands)

(12)

Form of certificate to be produced by a candidate belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe in support of his claim.

Form of caste certificate

This is to certify that Shri/Shrimati*/Kumari*..son/daughter* of..........
....of village/town..in District/Division*........
....of the State/Union Territory*..
belongs to the..Caste/Tribe* which is recognised as Scheduled Caste*
Scheduled Tribe*
under:—

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950;

The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950;

The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951;

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act) 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation Act, 1971]

The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes *Order, 1956;

The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes *Order, 1959;

The Constitution, (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes *Order, 1962,

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Sch. Tribes *Order, 1962

The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes *Order, 1964;

The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) *Order, 1967;

The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste *Order, 1968;

The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes *Order, 1968.

The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes *Order, 1970.

2. Shri/Shrimati /Kumari*..and his/her* family ordinarily reside(s) in village/town..of..District/Division* of the State/Union Territory* of..

Signature ....

Designation..
(with seal of Office)

Place..State
Union Territory*

Date..

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE:—The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

S.No 7(2)

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कार्मिक-क(अनुभाग-५)

क्रमांक सं०प० १५(२१)कार्मिक/क-५/ ७७ जयपुर, दिनांक ६ मार्च, १९७८।

प्रेषक :- विशिष्ठ शासन सचिव,
कार्मिक विभाग।

प्रेषिती:- समस्त जिला दण्डनायक।

विषय:- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति को प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में स्पष्टीकरण।

सन्दर्भ :- पत्र संख्या प० १५(२५)कार्मिक/क-५/ ७६ दिनांक ११-८-१९७६।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में अनेक ऐसे मामले आये हैं जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र तत्सम्बन्धी अनुशासी सिद्धान्तों के अनुसार जारी नहीं किये गये हैं। इसका मुख्य कारण तत्सम्बन्धी प्राधिकृत अधिकारियों का "निवास" शब्द के वैधानिक अर्थ के मूल्यांकन का अभाव है। अत: भविष्य में कृपया संलग्न स्पष्टीकरण (परिशिष्ट "क") को ध्यान में रख कर ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करानें का समुचित प्रबन्ध कराने का श्रम करें।

२) इसके अतिरिक्त अन्तजातीय विवाहित जोड़ों की सन्तति के मामले भी सामने आ सकते हैं। अन्तजातीय विवाहित जोड़ों में केवल एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का अथवा दोनों अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति परन्तु भिन्न - भिन्न उपजातियों के अथवा एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जन जाति का हो सकता है। ऐसे जोड़ों की सन्तति जिस जाति/जन जाति का होने का दावा करती है उस जाति/जन जाति वालों ने उसे अपनाया है अथवा नहीं, उस तथ्य की जांच करके इस संबंध में परिशिष्ठ "ख" व "ग" पर उद्धरित कानूनी परामर्श के अनुसार ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करना आवश्यक है।

३) सन्दर्भ की सुविधा के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक २७-७-७७ द्वारा प्रभाव में लाये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, १९७६ द्वारा संशोधित राजस्थान-अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति की सूचियां परिशिष्ठ "घ" व "ङ" पर दे दी गई हैं।

४) प्राधिकृत अधिकारियों की सूची व प्रमाण-पत्र के फार्म में भी तदनुसार संशोधन की आवश्यकता हो गई है। अत: पूर्ववर्ती आदेशों के अधिक्रमण में, पारा ... किये गये संशोधित ...

५) ज्ञात हुआ है कि अधिकृत अधिकारी गण आदि भी, राजपत्रित अधिकारियों, संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों आदि द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रमाण-पत्र देते हैं। यदि ऐसा प्रयत्न जारी रहा तो गलत प्रमाण-पत्र दिए जाने की स्पष्ट संभावना है क्योंकि जांच के सही तरीकों के अभाव में ऐसे प्राधिकारी इस प्रकार के प्रमाण पत्रों में लिखे गये तथ्यों की वास्तविक सत्यता सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। गलत प्रमाण-पत्र जारी करना रोकने की दृष्टि से सत्यापन करने का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

६) अतः प्राधिकृत अधिकारियों से अनुरोध है कि वे ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व उक्त प्रमाणीकरण राजस्व रेकार्ड के आधार पर करें तथा आवश्यक हो तो विश्वसनीय जांच करायें। प्रमाण-पत्रों का सत्यापन उनकी सत्यता से स्वयम् आश्वस्त होने के बाद ही करें।

७) कृपया अपने अधीन समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को तदनुसार निर्देश प्रसारित करते हुए विभाग को सूचित करने का श्रम करें।

भवदीय,

(के०के० भटनागर)
विशिष्ठ शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१) सचिव, राज्यपाल। मुख्य मंत्री,
२) निजी सचिव, मंत्रीगण। राज्य मंत्री गण,
३) निजी सचिव, मुख्य सचिव,
४) समस्त शासन सचिव। विशिष्ठ शासन सचिव,
५) समस्त विभागाध्यक्ष,
६) सचिवालय के समस्त विभाग। अनुभाग। प्रकोष्ठ,
७) अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र (असाधारण भाग) में प्रकाशनार्थ।
८) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप-६) को ५ अतिरिक्त प्रतियाँ सहित।
९) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर, कृपया जिलाधीशों को समाज कल्याण-रव स्तर द्वारा समुचित प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।

(अनुभागाधिकारी)

प्रतिलिपि सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र सं० बी०१२०२५।४७६ एस०सी०टी०, दिनांक २२-३-७७ और ३६।३७।७२ एस०सी०टी० दिनांक २२-५-७७ के संदर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत।

अनुभागाधिकारी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

१) रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। जयपुर,
२) सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर,
३) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।

अनुभागाधिकारी॥

परिशिष्ट 'क'

अनुसूचित जाति / जन जाति के 'निवास' शब्द के वैधानिक अर्थ का स्पष्टीकरण

राष्ट्रपति ने प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के बारे में और राज्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, संविधान के अनुच्छेद ३४१ व ३४२ के अधीन तथा उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में विभिन्न जातियों और जन जातियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों ------------------------ के रूप में अधिसूचित करते हुए स्थान-स्थान पर आदेश जारी किये हैं। अन्तर्राज्य / क्षेत्रीय प्रतिबन्ध जान बूझ कर लगाये गये हैं ताकि किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विशिष्ट समुदाय के लोग जिनको अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की हैसियत का माना गया है उनके लिए निर्धारित की गई सुविधायें उन्हीं को मिले। विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में रहने वाले एक ही जाति के लोग अनिवार्य रूप से एक ही अक्षमता से पीड़ित नहीं हो सकते हैं। यह भी सम्भव है कि एक ही जाति के दो व्यक्ति जो भिन्न भिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में रहते हैं दोनों को अनुसूचित अनुसूचित जन जाति अथवा विशेषतः (खास-इरादा) न समझा जावे। इस प्रकार किसी खास स्थान पर रहने वाले खास व्यक्ति का एक खास महत्व है। इसके ---- विपरीत इस शब्द का आशय किसी स्थान विशेष के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की जाति / जन जाति को अनुसूचित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना की तारीख को उस व्यक्ति के स्थाई निवास से है। इस प्रकार एक व्यक्ति, उस पर लागू होने वाले राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करते समय अपने स्थाई निवास स्थान से अस्थाई रूप से कहीं अन्यत्र रहता हो, उदाहरण के लिए नौकरी करता हो या शिक्षा आदि प्राप्त कर रहा हो, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति जो भी हो, से सम्बन्धित समझा जायेगा, यदि उसके राज्य / संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में उसकी जाति / जन जाति उस आदेश में निर्दिष्ट की गई हो। परन्तु उसे अस्थाई निवास के स्थान के सम्बन्ध में इस प्रकार नहीं समझा जायेगा भले ही अस्थाई निवास के क्षेत्र में राष्ट्रपति के किसी भी आदेश में वास्तव में उसकी जाति / जन जाति को अनुसूचित किया गया हो।

परिशिष्ट

Legal views on the status of the offsprings of a couple where one of the spouses is a member of a Scheduled Caste.

1. The general position of law as to that effect of marriage between parties who are Hindus and one of whom belongs to the Scheduled Castes is that under the ancient Hindu law, generally, inter-caste marriage was looked down upon by the propounders and commentators. Some of the authorities, however, reluctantly permitted marriage between a male caste Hindu with a Shudra female and included it in the list of Anuloma marriages although it was stated that in the wedding with a Shudra wife, the ceremony should be performed without Mantras. The children born out of a marriage by a caste Hindu with a woman of an inferior caste had neither the caste of the father nor the status of his Savarna Aurasas-meaning the son born of a caste Hindu wife. They were termed as Anulomaja and belonged to an intermediate caste higher than that of their mother and lower than that of their father. Yajnavalkya omits the son of Brahmin by a Shudra wife from the list of sons mentioned by Manu. Pratiloma marriages, i.e. marriages between woman of a superior caste with a man of an inferior caste, were altogether forbidden and no rites were prescribed for them in Grihya Sutra and persons entering into such marriages were degraded from the caste.

2. After the passing of the various statutory enactments relating to the Hindu law, such as, the Hindu Marriages Act, 1955, the Hindu Succession Act, 1956 and the Hindu Minority & Guardianship Act, 1956, customary ban on inter-caste marriages in either way, has been lifted by the statutory enactment. Under the Hindu Marriage Act, any two Hindus of different sex, irrespective of their caste may enter into a valid marriage unless such marriage is prohibited by the statute itself. According to the above three Statutes, all children either legitimate, or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Budhist, Jain or a Sikh by religion and who are brought up as members of the tribe, community, group or family to which their parents belong or belonged, are to be treated as Hindus. In view of the above, the off-springs of marriage between the caste Hindu and a member of the Scheduled Caste community, are Hindu and like the off-springs of marriage in the same caste, are entitled to succeed to the properties of their parents. But the status of his or her parent belonging to the higher caste or to question arises as to whether such a child will acquire the that of the parent belonging to the Scheduled Caste. On this point, we have not come across any direct case law. But we feel that the ratio of the decision in <u>Wilson Reed Vs. G.S. Booth</u> reported in AIR 1958 Assam, 128 would apply to such cases, it is stated at page [illegible].

> " The test which will determine the membership of the individual will not be the purity of blood, but his own conduct in following the customs and the way of life of the tribe, the way in which he was treated by the community and the practice amongst the tribal people in the matter of dealing with the tribal people in the matter of dealing with persons whose [illegible] and father was a European".

Similarly Mudaliar — in the case of Muthuswamy Mudaliar Vs. Masilman reported in ILR 33, Madras, 342, the Court held

" It is not uncommon process for a Class or tribe outside the pale of caste to another pale and if other communities recognised their claim, they are treated as of that class or caste. The process of adoption into the Hindu hierachy through caste is common both in the North and in the South India. As we have already pointed out, in the past there have been cases where people who judge from the purity of blood could not be Khasis, were taken into their fold or the orthodoxy did not stand in the way of their assimilation into the Khasi community".

3. The Supreme Court in V.V.Giri Vs. D.S.Dora reported in AIR 1959 S.C.1318 (1327) held,

"... The caste- status of a person in the context would necessarily have to be determined in the light of the recognition received by him from the members of the caste into which he seeks an entry. There is no evidence on this point at all. Besides the evidence produced by the appellant merely shows some acts by respondent 1 which no doubt were intended to assert a higher status, but unilateral acts of this character cannot be easily taken to prove that the claim for the higher status which the said acts purport to make is established. That is the view which the High Court has taken and in our opinion the High Court is absolutely right,"

In view of the above observations by superior Courts, it can safely be concluded that the crucial test to determine is whether a child born out of such a wedlock has been accepted by the Scheduled Caste community as a member of their community and has been brought up in that surrounding and in that community or not. The nexus between the child and the community or classor caste is a real test irrespective of the fact whether the accommodating class or caste or community. Even if the mother of the child is a member of the Scheduled Caste community, it is possible that the child is accepted by the community of his father and brought up in the surroundings of his father's relations. In that case, such a child cannot be treated as a member of the Scheduled Caste community and cannot get any benefit as such. Similarly, when the mother belongs to a higher caste and the father is a Scheduled Caste, the father may remain away from the Scheduled Caste Community and the child may be brought up in a different surrounding under the influence of his mother's relations and xher community members. In such cases also, the child x cannot be said to be a member of the Scheduled Caste community. In the alternative, where the child irrespective of the fact whether the father or the mother is a member of Scheduled Caste community, is brought up on the Scheduled Caste community as a member of xxx such community, then he has to be treated as a member of the Scheduled Caste community and would be entitled to receive benefits as such.

S.C. community or a Caste Hindu community.

4. As regards the marriages not registered and marriages not legally valid, it may be pointed out that registration is not mandatory for marriages under the Hindu law. Even under the Hindu Marriage Act 1955 ...

(18)

if such ceremony includes the Saptapadi, the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken. In view thereof, all those marriages though not registered but which have been solemnised in accordance with the procedure mentioned in this Section, are to be treated as valid marriages and our opinion mentioned in para 3 above will apply to the children born out of such valid but underegistered marriages.

5. As regards marriages which are not legally valid, it is clear that such children are illegitimate unless invalidity of marriage is due to grant of a decree of nullity by a Court in which case, provisions of Section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955, will apply. Under Section 6(b) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, the natural guardian of a Hindu minor has been stated to be :-

"in case of an illegitimace boy or an illegitimate girl- the mother and after her the father"

6. It can be derived from this that the illegitimate children are generallybrought up by the mother and in her own surroundings. Therefore, if the mother belongs to the Scheduled Caste and brings up the child within a Scheduled Caste community, the child can be taken as a member of the Scheduled Caste community. But in this case also the major factor for consideration is whether the child has been accepted by the Scheduled Caste community as a member of their community and he has been brought up as such.

7. The above are the general observations, however, each case has to be examined in the light of the circumstances prevalent in that case and final decision has to be taken thereof.

....

परिशिष्ट - ग

Legal views on the status of the offsprings of a couple where one of the spouses is a member of a Scheduled Tribe.

The question has arisen whether the Off-spring born out of wedlock between a couple one of whom is a member of Scheduled Tribe and other is not should be treated as a Scheduled Tribe or not.

2. It may be stated at the outset that unlike members of Scheduled Castes the members of Scheduled Tribes continues as such even after their conversion to other religion. This is because while Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 provides in clause 3 that only a member of Hindu or Sikh religion shall be deemed to be a member of Scheduled Caste, the Constitution (Scheduled Tribes Order, 1950) does not provide any such condition. This view has been upheld by the Supreme Court in the case reported in AIR 1964 S.C. at p.201.

3. It may be stated that unlike Members of Scheduled Castes members of Scheduled Tribes remain in homogenous groups and quite distinct from any other group of Scheduled Tribes. Each Tribe live in a compact group under the care and supervision of the elders of the Society whose words is obeyed in all social matters. A member committing breach of any prescribed conduct is liable to be excommunicated. The social custom has a greater binding force in their day day life.

In the case of marriage between a tribal with a -tribal the main factor or consideration is whether the couple were accepted by the tribal society to which the tribal spouse belongs. If he or she, as the case may be, is accepted by the Society then their children shall be deemed to be Scheduled Tribes. But this situation can normally happen when the husband is a member of the Scheduled Tribe. However, a circumstances may be there when a Scheduled Tribe woman may have children from marriage with a non-Scheduled Tribe man . In that event the children may be treated as Scheduled Tribes only if the members of the Scheduled Tribe community accept them and treat them as members of their own community. This view has been held by the Assam High Court in Wilsom Read V. C.S.Booth reported in AIR 1968 Assam at p.128, where it has been held -

> " The test which will determine the membership of the individual will not be the purity of blood, but his own conduct in following the customs and the way of life of the tribe; the way in which he has been treated by the Community and the practice amongst the tribal people in the matter of dealing with persons whose mother was a Khasi and father was a European".

20

Similarly in the case of Muthusamy Mudaliar V. Masilamam Mudaliar, reported in ILR 33, Madras, 342, the court held-

> "It is not uncommon process for a class or tribe outside the pale of caste to another pale and if other communities recognised their claim, they are treated as of that class or caste".

Similarly, in V.V. Giri V.D.S. Dora, reported in AIR 1959 S.C. 1318 (1327) the Court held-

> " The caste-status of a person in the context would necessarily have to be determined in the light of the recognition received by him from the members of the caste into which he seeks an entry".

5. As mentioned above, it is the recognition and acceptance by the society of the children born out of a marriage between a member of Scheduled Tribe with an outsider, which is the main determining factor irrespective of whether the Tribe is materiarchal or patriarchal. The final result will always depend on whether the child was accepted as a member of the Scheduled Tribe or not.

6. The general position of law has been stated above. However, each individual case will have to be examined in the light of existing facts and circumstances in such cases.

परिशिष्ट - ग

Legal views on the status of the offsprings of a couple where both the spouses are members of Scheduled Caste/Scheduled Tribes but each belongs to a different sub-caste/sub-tribe.

-.-.-.-

1. Under the Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, what is material is residence of the member of the caste, race or tribe in the localities specified in the respective schedule. In the case of a minor child the question arises whether his residence will go along with that of his father Under the principles of private International Law, the domicile of a minor child follows that of his father, and in certain cases of his mother and the minor child is incapable of changing his domicile by any voluntary act. This rule by no means is absolute. Suppose, for instance, a father deserts his son or he is divorced and the custody of his son given to his wife. In such a case the court may consider that the minor's domicile will be that of the mother.

2. Under Section 3 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 the natural guardian in the case of a minor boy or an unmarried girl is father and after him his mother in the case of an illegitimate boy or an illegitimate unmarried girl, the natural guardian will be the mother and after her, the father.

3. In the above background it has to be seen as to which sub-caste or sub-tribe the offspring would belong in case the parents belong to two distinct communities within the same Scheduled Castes or Scheduled Tribes as the case may be. Prima facie it would appear that in such cases the children born of such parents could be treated as members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be. The prima facie presumption is also in favour of the child possessing the sub-caste or sub-tribe of the father in the large majority of cases, having regard to the concept of domicile mentioned above. Apart from this, it has to be seen whether the child has also been accepted and assimilated in the sub-caste or sub-tribe in that community. Each case has to be examined in the light of the circumstances pertaining to it.

....

परिशिष्ट - ङ

Legal views on the status of the offsprings of a couple where one of the spouses is a member of a Scheduled Caste and the other that of a Scheduled Tribe.

-.-.-.

As regards the status of the offspring whose father is a member of Scheduled Caste and mother of a Scheduled Tribe, the prima-facie presumption is in favour of the child possessing the caste of the father in the large majority of cases, having regard to the concept of domicile explained in para 1 of परिशिष्ट -ग. Apart from this, it may also be a relevant criterion to see whether the child has been accepted and assimilated in Scheduled Caste community to which the father belongs.

The principle mentioned above would also apply the case of an offspring whose mother is a member of the Scheduled Caste and father of a Scheduled Tribe.

This is the general position of law, Each case, has to be examined in the light of the attendant facts and circumstances.

....

No. BC. 12025/1/82 SC&BCD IV

Government of India/Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, dated 29th June, 1982

The Chief Secretaries of all State Governments/
Union Territory Administrations.

SUBJECT:—*Issue of Scheduled Caste/Tribe Certificates—Providing for punishments for officials issuing such certificates without proper verification.*

Sir,

I am directed to say that it was mentioned in the meeting of the Consultative Committee for the Ministry of Home Affaris held in Feb. 1982 that Scheduled Caste/Tribe certificates have been issued to ineligible persons, carelessly or deliberately without proper verification by the officials empowered to issue such certificates. This have resulted in some persons availing of the benefits meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on false pretext. The Consultative Committee has desired that suitable steps should be taken to prevent such wrong issue of certificates.

2. Attention is invited to this Ministry's letter No. BC. 12025|3|78-SCT-I dated 29th March 1976 addressed to the Chief Secretaries of all the State Governments|U.T. Administrations requesting them to take deterrent action against officials who issued certificates carelessly or deliberately without proper verification. The State Governments/U. T. Administrations were requested to issue necessary instructions to all the officials under their control who are empowred to issue certificates to take proper care before issuing them. These officials were also to be informed that action would be taken against them under the relevant provisions of the Indian Penal Code (Section 420 etc.) if any of them is found to have issued certificates carelessly and without proper verfication in addition to the action to which they are liable under the appropriate disciplinary rules applicable to them.

3. It is requested that the action taken in the matter by the State Governments|U. T. Adminstrations may kindly be intimated to this Ministry urgently with regard to the following points:—

(i) Number of bogus certificates detected during the last 2 years (1980 and 1981).

(ii) Action taken agains the erring officials.

(a) *Under the relevant provision of the I.P.C.*

(b) Under the appropriate discipliianary rules applicable to them.

(iii) Action taken against persons who obtained such bogus certificates under IPC. etc.

(iv) Details of the steps taken to curb such malpractices in future.

4. The State Governmens and U. T. Administrations are also requested to take strict measures to detect such cases of non-Scheduled Caste and non-Scheduled Tribe persons holding false S. C./S. T. Certificates, deprive them of benefits that they are not entitled to, and impose appropriate penalties and take legal action against them and against those who were responsible for the issue of such certificates, strictly and expeditiously. Further, it was suggested in the Consultative Committee meeting that the State Governments/U. T. Administrations may set up special courts for expeditiously trying the cases relating to the issue of bogus certificates with deterrent rapidity and give wide publicity to the names of persons who are convictd of this offence by the courts.

Yours faithfully,
(B. N. Srivastava),
Director.

Copy forwarded for information:—

1. Department of Personnel & A. R. Establishment (SCT) Section.

2. Secretary, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.

24

3. Commissioner for SC/ST, R. K. Puram, New Delhi.

4. Secretary, U.P.S.C.|Secretary, Staff Selection Commission.

5. All the Ministries/Departments.

6. All the Divisions of the Ministry of Home Affairs.

7. SC&BCD.I|II|III|VI Sections|PCR Cell|P... Desk|T.D. Division.

Yours faithfully,

(B. N. Srivastava)
Director.

MOST IMMEDIATE

BC-16014|1|82-SC&BCD-I.

Government of India/Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, dated the 18th November, 1982

27th Kartika, 1904.

To

The Chief Secretaries to all State Governments|Union Territory Administrations.

SUBJECT:—*Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate to migrants from other States/Union Territories.*

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided in modification of the instructions issued in letter No. BC-12025/2/76-SCT-I dated 22-3-1977 and letter No. BC-12025|11|79-SC&BCD-I/IV dated 29-3-1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father/mother by the prescribed authority of the State of the father's/mother's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the caste/tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the Scheduled Caste/Scheduled Tribe's status of the person in relation to the one or the other State. The revised form of the Scheduled Caste/Tribe certificate is encloses.

Yours faithfully,

Sd/-

(B. K. Sarkar)

Joint Secretary to the Govt. of India.

No. BC-16014|1|82-SC&BCD-I New Delhi, the 18th November, 1982.

Copy to:—

1. Department of Personnel & A.R. (Est) (SCT Section) with the request that necessary amendment to the Brochure of the reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, by incorporating, where necessary, the position stated in the foregoing paragraphs may please be made.

2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi.

3. Secretary, Staff Selection Commission, CGO Complex, Block No. 12, Lodi Road, New Delhi.

4. All the Ministries/Departments, Government of India.

5. Secretary, Commission for Scheduled Caste/Scheduled Tribe, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.

6. Commissioner for Scheduled Caste & Scheduled Tribe, R. K. Puram, New Delhi.

7. All the Sections in SC&BCD Division/TD Division, Ministry of Home Affairs.

Yours faithfully,

Sd/-

(B. K. Sarkar)

Joint Secretary to the Govt. of India.

[redacted]

सं. बीसी-16014/1/82-एससी एंडबीसीडी
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
..

नई दिल्ली, दिनांक: 6 अगस्त, 1984

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र
प्रशासनों के मुख्य सचिव ।

विषय- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रवासियों के दावे के सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र के फार्म में संशोधन ।

...

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के तारीख 18-11-1982 के समसंख्यक पत्र तथा कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 29-10-1977 के पत्र सं. 36012/6/76-एस्टे (एससीटी) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू हो जाने के परिणामस्वरूप तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार, शिक्षा आदि के प्रयोजन के लिए अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने पर जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में महसूस हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के फार्म में आगे और संशोधन किया गया है। जाति/जनजाति प्रमाण पत्र का संशोधित फार्म पत्र के साथ संलग्न है। अनुरोध है कि इस संशोधित प्रमाण पत्र के फार्म की प्रति उन सभी सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में लाई जाय, जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संलग्न संशोधित फार्म में उन सक्षम प्राधिकारियों की सूची भी दी गई है, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था । यह सूची कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 8-9-75 के पत्र सं. 13/2/74-एस्टेट (एससीटी) के तहत जारी की गई थी ।

2. इस मंत्रालय के तारीख 18-11-1982 के समसंख्यक पत्र में जारी किये गए अनुदेश चालू रहेंगे । तथापि यह बात स्पष्ट की जाती है कि

..2/-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उनका अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति का अपना दर्जा बना रहेगा, लेकिन वे अनु॰ जाति/ अनु॰ जनजाति को देय रियायत/लाभ अपने मूल राज्य से पाने के हकदार होंगे, न कि उस राज्य से जहां वे आकर रहने लगे हैं। सभी सक्षम अधिकारियों को सलाह दी जाय कि वे अबसे आगे अनु॰जाति/अनु॰जनजाति प्रमाण पत्र संशोधित फार्म में जारी करें और उसके बारे में इस मंत्रालय को भी सूचित करें। साथ ही ये प्रमाण पत्र तब जारी किए जाएं जब वे राजस्व रिकार्ड/विश्वसनीय पूछताछ, जांचपड़ताल के जरिए उचित सत्यापन कर लेने के बाद इस बात से सन्तुष्ट हो जायें कि प्रमाण पत्र सही है। शक्ति प्राप्त सक्षम प्राधिकारियों की फार्म में दी गई सूची का कड़ाई से पालन किया जाय। अनुसूचित जाति/अनु॰जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्राधिकृत न किया जाय।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(बी के सरकार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं॰ बी सी-16014/1/82-एस सी एंड बी सी डी-1 दिनांक: 6 अगस्त, 198[illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली (15 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, सी जी ओ कम्पलेक्स, ब्लाक नं॰ 12, लोदी रोड, नई दिल्ली (15 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. सचिव, अनुसूचित जाति/अनु॰ जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
5. अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति आयुक्त, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
6. सभी अनु॰जाति/अनु॰जनजाति निदेशक/उप-निदेशक।
7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
8. निर्वाचन आयोग।
9. लोक सभा सचिवालय (एस सी टी सी शाखा) (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

..3/-

[redacted]

No. BC.16014/[redacted]CD-I
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralya

New Delhi, dated the 22.2.85

To

The Chief Secretaries to all State/Governments/
Union Territory Administrations.

Sub: Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate to migrants from other States/Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes, who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided to modigy the instructions issued in l letter No.BC.12025/2/76-SCT-I dated 22.3.1977 and letter No. BC 12025/11/79-SC&BCD-I/IV dated 29.3.1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Sch.Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father by the prescribed authority of the State of the father's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the caste/tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the sch. caste/tribe status of the persons in relation to the one or the other State. The revised form of the Sch.Caste/Tribe certificate has already been circulated with this Ministry's letter of even number dated 6.8.1984.

2. It is also clarified that a Sch.Caste/Tribe person who has migrated from the State of origin to some other State for the purpose of seeking education, employment etc. will be deemed to be a Sch.Caste/Tribe of the State of his origin and will be entitled to derive benefits from the State of origin and not from the State to which he has migrated.

3. This letter substitutes this Ministry's earlier letter of even number dated 18.11.1982.

Yours faithfully,

Sd/-

(B.K. SARKAR)
JOINT SECRETARY

(29)

राजस्थान स[redacted]
समाज कल्याण [redacted]

क्रमांक:प.के।(8)( )आरएण्डपी/सकवि/ 22422-48 दिनांक: 4.4.90

समस्त जिला कलेक्टर्स,
....

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण लायें गये है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र तद्-संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमों को ध्यान में रख कर जाते है परिणामस्वरूप अनेको वैधानिक जटिलताएं उपलब्ध हो जाती है इसके अतिरिक्त यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी नही किये जाते है जिससे प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसे मामले भी सामने आ सकते है कि आवेदक राजस्थान का जन्मजात मूल निवासी न होकर वरन् भारत के किसी अन्य प्रान्त का निवासी हो और राजस्थान में नौकरी अथवा अध्ययन आदि के लिये आ गया है, को उसके पिता के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है किन्तु और अधिक सन्तुष्टि के लिये ऐसे प्रकरणों में आवेदक के मूल निवास स्थान से विस्तृत जांच करायी जाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के जो व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में शिक्षा एवं रोजगार आदि के लिये चले जाते है, उनका अनुसूचित जाति/जनजाति का अपना दर्जा बना रहेगा लेकिन वे अनुसूचित जाति/जनजाति को देय रियायत/लाभ अपने मूल राज्य से पाने के हकदार होंगे न कि उस राज्य से जहां वे आकर रहने लगे हैं।

अतः प्राधिकृत अधिकारियों से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड के आधार पर तथा आवश्यक एवं विश्वसनीय जांच कराने के पश्चात् ही अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यह प्रमाण पत्र उसी स्थिति में जारी करेंगे जबकि आप स्वयं आवेदक की जाति से पूर्ण आश्वस्त हो चुके हों।

प्राधिकृत अधिकारी प्रायः राज्यपत्रित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि द्वारा किये गये प्रमाणीकरण के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र जारी कर देते हैं, जो सर्वथा गलत है। यह प्रमाण पत्र प्रायः राजस्व रिकार्ड, नगरपालिका रिकार्ड, हास्पिटल रिकार्ड, जैसे ठोस प्रमाण पत्र के आधार पर ही जारी किया जाना चाहिये। किंचित असावधानी व बिना पर्याप्त सत्यापन के गलत प्रमाणपत्र जारी हो जाने पर प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की तदसंबंधी धाराओं

क्रमशः....2.

(30)

... 8 । इसके अतिरिक्त अनुशासनात्मक नियमों के अधीन कार्यवाही सम्भव है । अतः समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय पूर्ण सावधानी बरतें ताकि गलत प्रमाण पत्र जारी न हों यदि इस विषय में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो निदेशालय समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है । जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी तथा पद सम्बन्धी अनुदेश:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वृतिकाग्राही मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उपमण्डल मजिस्ट्रेट तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक (एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/((प्रथम श्रेणी वृतिकाग्राही मजिस्ट्रेट से कम पद के नहीं)
2. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम पद का नहीं होना चाहिये ।
3. उस क्षेत्र का उपमण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार/अथवा उसका परिवार रहता है ।

उक्त अधिकारियों में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी राष्ट्रपति के अनुसूचित जाति/जनजाति सम्बन्धी आदेश की अधिसूचना के समय जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्थाई निवास से सम्बन्धित होना चाहिये अर्थात एक जिले का राजस्व अधिकारी किसी दूसरे जिले में रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम नही है। न ही किसी राज्य/संघ शासित सेवा का कोई प्राधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, जिसके स्थाई निवास का स्थान राष्ट्रपति के विशिष्ठ आदेश को अधिसूचित करने के समय किसी भिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र में रहा हों ।

राष्ट्रपति के तत्सम्बन्धी आदेश को अधिसूचित किये जाने की तारीख के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के मामले में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के माने जाने के प्रयोजन के लिये उनका निवास स्थान राष्ट्रपति के ऐसे आदेश की अधिसूचना की तारीख के समय, उनके माता-पिता के स्थाई निवास स्थान है जिनके अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने का दावा करते हैं ।

शासन सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
राज0, जयपुर

क्रमांक:प-11(8)(((आरएण्डपी/सक वि/22449-500 दिनांक: 4.4.90

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. पंजीयक, राजस्थान विश्वविद्यालय, ...
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
6. विशिष्ठ शासन सचिव, को उनके अर्द्धशासकीय टीप संख्या प-9(30)कार्मिक/क-2/89 दिनांक 14.12.89 के क्रम में

उपनिदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक प011(125)आरएण्डपी।सकवि।86895-931 जयपुर, दिनांक 8-11-94

समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिला कलक्टर

परिपत्र

विषय:- राजस्थान राज्य में अधिसूचित पिछड़े वर्गों में गैर हिन्दू वर्गों के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिये जाने के संबन्ध में।

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम प्रतिवेदन, 1994 के आधार पर समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ11(125)आरएण्डपी।सकवि।52307 दिनांक 6 अगस्त, 1994, जो राजस्थान राजपत्र के विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 8 अगस्त, 1994 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राज्य में सभी प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्गों की सूची जारी की गई है। हिन्दू पिछड़े वर्गों के समान ही पैतृक व्यवसाय वाले गैर हिन्दू वर्गों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण के लिये राज्य सरकार को कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

अत: इस बिन्दु का परीक्षण कर निर्देशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे गैर हिन्दू व्यवसायिक जातियों को, जो अपने पुश्तैनी। पैतृक व्यवसाय के नाम से जानी जाती है और जिनके हिन्दू प्रतिरूप पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिये हैं व जिनके हिन्दू और गैर हिन्दू पैतृक व्यवसायिक नाम समान है, को भी पिछड़े वर्गों में ही माना जायेगा।

किसी भी व्यक्ति को पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र देने से पहले इस बात की जांच की जानी चाहिये कि उसका व्यवसायिक पैतृक नाम रेखांकित हिन्दू पिछड़े वर्ग के समान ही है और इसी रूप में सामान्यतया संम्बोधित किया जाता है।

(आर0डी0 रूंगटा)
शासन उप सचिव

क्रमांक एफ11(125)आरएण्डपी।सकवि।86932-87031 जयपुर, दिनांक 8-11-94

प्रतिलिपि :-

1- मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- समस्त प्रमुख शासन सचिव।शासन सचिव।
3- सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4- सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5- संयुक्त सचिव, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7- पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
8- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
10- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
11- अतिरिक्त पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर।

---2

(32)

12- समस्त विभागाध्यक्ष

13- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, राजस्थान, जयपुर ।

14- समस्त पुलिस अधीक्षक ।

15- समस्त संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग ।

16- समस्त सहायक निदेशक । जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ।

17- गार्ड फाईल ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

कमांक:एफ-11।125।।6।आरएण्डपी/सकवि/305

जयपुर दिनांक: 3-1-2000

अधिसूचना

राजस्थान राज्य पिछडा वर्ग आयोग,जयपुर द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत छठे प्रतिवेदन में निम्न तीन जाति/वर्गो के सम्बन्ध में पृथक से नाम जोडे जाने की सिफारिश न कर,केवल राज्य सरकार द्वारा इनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी करने का निवेदन किया है।

आयोग की छठी प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डल ज्ञापन संख्या एफ 11।125।।6।आरएण्डपी/सकवि/106 दिनांक:31/12/99 पर मंत्रीमण्डल द्वारा विचारविमर्श कर उक्त वर्णित तीन जाति/वर्गो के सम्बन्ध में आयोग के निवेदन को स्वीकार करते हुये,मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या 1/2000 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया है।

तदुनसार निम्नलिखित तीन जाति/वर्गो के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

1:रजपूत।राजपूत नहीं।/रजोत।राजपूत नहीं।

रजपूत।राजपूत नही। रावणा राजपूत,दारोगा के ही समानार्थी नाम हैं। जो लोग रजपूत या रजोत लिखते है वे भी दरोगा,रावणा राजपूत,हजूर या हजूरी ही है मगर रजपूत या रजोत लिखने से अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं मिलने की सम्भावना रहती है जिससे जो लोग दरोगा या रावणा राजपूत है तथा रजपूत या रजोत लिखते हैं,उन्हे सम्बंधित प्रमाण पत्र से वंचित रहना पड़ता है।अत:जो व्यक्ति दरोगा,रावणा,राजपूत,हजूर,हजूरी है व अपने नाम के आगे रजपूत।राजपूत नही।या रजोत।राजपूत नही।लिखते है,उन्हें भी प्रमाण पत्र मिलना चाहिये।जो रावणा राजपूत या दरोगा समुदाय के व्यक्ति अपने नाम के आगे रजपूत।राजपूत नही।या रजोत।राजपूत नही।लिखते है,उन्हें भी पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

2:पायक:-

जो वेदनाई पायक लिखते हैं मूल रूप से वेदनाई है तथा वे वेदनाई का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।पायक नाम से जाति की व्यवसायिक पहचान नही है,वेदनाई व्यवसायिक जाति नाम है।जो वेदनाई पायक लिखते है उन्हें भी वेदनाई का जाति प्रमाण पत्र दिया जावे।पायक,वेदनाई समुदाय एक ही है।किन्तु वेदनाई न

लिखकर कुछ पायक लिखते है। और वह अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। जब एक जाति अथवा समुदाय पिछड़ा वर्ग की श्रेणी मे आता है तो इस बात से कोई अन्तर नही पड़ता कि उस समाज के विभिन्न व्यक्ति अपने नाम के आगे क्या उपनाम लिखते है। प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वह पिछडी जाति के सदस्य होने का ही जारी किया जाता है। एक ही समुदाय के पचासों लोग उपनाम लिखते है और इसी कारण से उनकी जाति एवं समुदाय बदल नही जाती। अगर इस प्रकार विभिन्न उपनामों को जातियों की सूची में जोड़ा गया तो इससे भ्रान्तियाँ बढ़ेंगी। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे उपनाम पायक लिखते है किन्तु अपनी जाति वेदनाई कहते है, केवल पायक उपनाम लिखने से उसे प्रमाण पत्र से वंचित नही किया जायेगा।

3:रामगढ़िया:-

रामगढ़िया शब्द से इन लोगों का परिचय लिखा है जो रामगढ़ से निकले है। रामगढ़ से निकलने वाले अन्य सिखों का रामगढ़िया लिखने से रोका नही जा सकता, इस कारण, यदि रामगढिया शब्द पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया तो सम्बंधित अन्य पिछड़ी जातियों को नुकसान होने की सम्भावना है। अन्य पिछड़ी जातियों में खाती, बढई, सुथार, तरखान जोडी जा चुकी है। आयोग की राय में यदि कोई व्यक्ति जाति से तरखान है, किन्तु अपने नाम के आगे रामगढ़िया लिखता है तो फिर उसे तरखान होने के प्रमाणपत्र से वंचित नही किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति, जो जाति से तरखान है, किन्तु, नाम के आगे रामगढ़िया लिखता है, तो उसे तरखान होने के प्रमाण पत्र से वंचित नही किया जाना चाहिये।

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग [redacted]

क्रमांक:एफ11(41)आर०डी०/स०क०वि/43566-635 जयपुर, दिनांक: 13.11.2000

समस्त विभागाध्यक्ष,
....

समस्त जिला कलेक्टर,
....

विषय:-उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के तीसरे प्रतिवेदन में निहित निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में निवेदन है कि जाति/समुदाय संबंधी प्रमाणपत्रों के उचित सत्यापन हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के क्रम में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय प्रमाण पत्रों की जांच करना और भी आवश्यक है जहां जाति के झूठे प्रमाण पत्रों वाले उम्मीदवार वस्तुतः पात्र उम्मीदवारों को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने तथा बाद में रोजगार प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर सकते है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रस्तुत जो भी प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सके, के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए तथा इस तरह के दावों को निर्धारित ढंग से उन स्थानों के जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए जहाँ के वे तथा उनके परिवार सामान्यतः निवासी है, यदि किसी मामले विशेष में सत्यापन करने से यह पता चलता है कि उम्मीदवार का दावा झूठा है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए।

...2

विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निम्नानुसार एक अंश मुद्रित किया जाना चाहिए:-

"यह विदित है कि यह जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला है, से संबंध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही जो की जा सकती है, के बारे में पूर्वाग्रह के बिना सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।"

अतः जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में उल्लिखित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(ह0)

विशिष्ट शासन सचिव

OBC Certificate - Clarifications

[redacted]

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Personnel (A-V)

No.F.9(8)/DOP/A-V/2000 Dated: March 05, 2001

CIRCULAR

SUBJECT: Reservation for Other Backward Classes in posts and services under the State Government - clarification regarding application of Rule of Exclusion in certain situations.

Vide Department of Personnel (A-V) Notification No. F.9(8)/DOP/A-V/90 dated September 28, 1993 21% of the vacancies in posts and services under the State Government have been reserved for Other Backward Classes. The Schedule annexed with this Notification specifies the various categories of persons who shall be excluded for the purposes of providing the benefit of reservation to the Other Backward Classes. Clarification have been sought by various officers regarding applicability of the Rule of Exclusion in certain specific circumstances / situations. The matter has been examined in consultation with the Law Department and the following clarifications are hereby issued for the guidance of all concerned :-

ISSUE: **Whether the benefit of reservation for Other Backward Classes would be admissible to a woman who herself does not belong to one of the castes which have been recognised as Other Backward Classes in the State but marries a person who belongs to one of the castes which has been recognised as Other Backward Classes ?**

CLARIFICATION: In the case of a married woman, her pre-marital status is relevant for determining whether she belongs to Other Backward Classes; marriage has no impact on her status in this regard. Therefore, the benefit of reservation for Other Backward Classes will not be admissible to a woman who was born in any of the castes which is not notified as one of the Other Backward Classes.

ISSUE: **Whether in the case of a married woman the income of the parents should be taken into account or the income of the husband should be taken into account.**

CLARIFICATION: Category VI of the Scheduled to Notification No. F.9(8)/DOP/A-V/90 dated September 28, 1993 refers to the "INCOME / WEALTH TEST". Under this category, Son(s) and Daughter(s) of persons having annual income of Rs 1 lakh or above (now revised to Rs 2.5 lakhs or above) or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years are excluded for the purposes of availing the benefit of reservation in the matter of appointments under the State Government. This provision is quite clear and only the income / wealth of the parents (**both Father and Mother**) is to be taken into account for this purpose. The income / wealth of the husband of the woman has no relevance whatsoever in so far as this provision (Category VI - INCOME / WEALTH TEST) is concerned.

(38)

ISSUE: **Whether in the case of a person who is an adult, has his own independent source of income, and is living separately from his parents the income of the parents has to be taken into consideration or the income of the individual has to be taken into consideration.**

CLARIFICATION: As stated above, Category VI of the Scheduled to Notification No. F.9(8)/DOP/A-V/90 dated September 28, 1993 refers to the "INCOME / WEALTH TEST". Under this category. Son(s) and Daughter(s) of persons having annual income of Rs 1 lakh or above (now revised to Rs 2.5 lakhs or above) or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years are excluded for the purposes of availing the benefit of reservation in the matter of appointments under the State Government. This provision is quite clear and only the income / wealth of the parents (**both Father and Mother**) is to be taken into account for this purpose. The income / wealth of the individual has no relevance whatsoever in so far as this provision (Category VI - INCOME / WEALTH TEST) is concerned.

Certain other clarifications on the subject had been issued vide this Department's Circular of even No. dated February 02, 2001. All District Collectors are requested to discuss these clarifications in the monthly meeting of Revenue Officers so as to bring these clarifications to the notice of all Revenue Officers. All Sub-Divisional Officer may be directed to bring these clarifications to the notice of their subordinate Revenue Officers i.e. Tehsildars / Naib-Tehsildars / Inspectors of Land Revenue / Patwaries for ensuring strict compliance.

05/3/2001
(Ashok Sampatram)
Secretary to Government

Copy forwarded to the following information and further necessary action :-

1. Secretary to H.E. the Governor / Chief Minister.
2. All Principal Secretaries / Secretaries / Special Secretaries to the Government.
3. All Heads of Departments (including Divisional Commissioners and District Collectors).
4. All Departments / Sections of Rajasthan Secretariat

Deputy Secretary to the Government

1. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
2. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
3. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.
4. Registrar, Rajasthan High Court, Jaipur / Jodhpur.
5. Registrar, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, Jaipur

Deputy Secretary to the Government

राजस्थान सर[redacted]
कार्मिक (क-5) वि[redacted]

क्रमांक प.9(17)कार्मिक/क-5/95 जयपुर, दिनांक 21-10-2002

समस्त जिला कलेक्टर्स एवं मजिस्ट्रेट।

परिपत्र

विषय:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न जाति-प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्पष्टीकरण चाहे जाते रहे हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्य से माईग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे हैं, को उनके स्वयं अथवा उनकी संतानों के उपयोगार्थ उक्त वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र देय है अथवा नहीं।

प्रकरण पर परीक्षणोपरान्त इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वर्ग के अन्य राज्य से माईग्रेट होकर राजस्थान राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों को स्वयं के उपयोगार्थ तो जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसे माईग्रेट हुए व्यक्तियों की संतानों को जिनका जन्म राजस्थान राज्य में ही हुआ है, यहीं शिक्षा ग्रहण की है, यहीं से मूल निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हुआ है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी इन वर्गों की सूची (जिसे अधिसूचित किया गया है) में सम्मिलित है तो उन्हें नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु आपके अधीनस्थ जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

शासन सचिव।

(32)

No.36022/1/2007-Estt.(Res)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

...

20.3.2007

New Delhi, dated: the 20th March, 2007

To

The Chief Secretaries of all
States/Union Territories

Subject: Verification of claims of candidates to belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

***

Sir,

It has been brought to the notice of this Department that some candidates manage to secure employment under the Government against the vacancies reserved for SCs/STs/OBCs on the basis of false/forged caste/ community certificates. It is a serious matter which can only be tackled with the cooperation of the State Governments.

2. Instructions issued by this Department require the appointing authorities to verify the caste status of SC/ST/OBC candidates at the time of initial appointment. Accordingly, the concerned appointing authorities, at the time of initial appointment of SC/ST/OBC candidates against vacancies reserved for them, make a request to the concerned district authorities to certify the veracity of caste/community certificate produced by the candidate. Many a time, the district authorities take unduly long time to respond. Where verification is not completed in time, the candidates are given appointment on provisional basis pending verification of their caste status. Some candidates continue to hold the post on the basis of false/forged certificates in the absence of proper response from district authorities. Chances of collusion of the candidate with some unscrupulous employee(s) at the district level cannot also be ruled out.

3. I am directed to request you to streamline the system so that the unscrupulous non-SC/ST/OBC persons are prevented from securing jobs meant for SCs/STs/OBCs by producing false certificates. It would be appreciated if you could issue instructions to the District Magistrates/District Collectors/Deputy Commissioners of the districts to the effect that they should ensure at their own level that veracity of the caste/community certificate referred to the district authorities, as stated above, is verified and reported to the appointing authority within one month of receipt of request from such authority. In order to rule out collusion between candidates holding false/forged certificate and employees at the district level or sub-district level, disciplinary proceedings may be initiated against officers who default in timely verification of caste status in such cases or issue false certificates.

Yours faithfully

(R. Ramanujam)
Joint Secretary

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

[illegible] जयपुर

क्रमांक एफ.11(6) आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./08/5734-68 जयपुर, दिनांक 25/2/09

समस्त जिला कलक्टर

विषय- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण लाये गये है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमों को ध्यान में रखकर जारी नहीं किये जाते है। परिणामस्वरूप अनेक वैधानिक जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती है।

विभाग के समसंख्यक पत्रांक 23422-48 दिनांक 4.4.90, 43568-636 दिनांक 13.11.2000 एवं 9454-83 दिनांक 21.2.04 द्वारा भी आपको जाति प्रमाण-पत्र जारी करने एवं जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन संबंधी अनुदेश भिजवाये गये थे। तत्पश्चात भी कतिपय मामलों में उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः आपको पुनः उक्त पत्रों की प्रतियां भेजकर अनुरोध किया जाता है कि आप प्राधिकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड, अन्य अभिलेख एवं मौके की आवश्यक एवं विश्वसनीय जांच करने के पश्चात ही अनुसूचित जाति/जनजाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान करें। प्राधिकृत अधिकारी आवेदक की जाति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करें।

सुलभ संदर्भार्थ अनुसूचित जाति व जनजाति की वर्तमान प्रभावी सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व जारीकर्ता प्राधिकारी से प्रतिवेदक अधिकारी की रिपोर्ट एवं उक्त सूची का भी समुचित अध्ययन कर स्वयं के स्तर पर संतुष्ट हो लें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के बाद राज्य में जातियों की सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन (change) नहीं हुआ है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

शासन उप सचिव

(43)

(35)

53

(20)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

क्रमांक [illegible]

जयपुर दिनांक 18.3.2011

आदेश

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकास्पद/फर्जी एवं अनधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते है। इस संबंध मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने के निर्णय दिये है। अतः ऐसे शंकास्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए निम्नानुसार राज्य स्तरीय छानबीन समिति (State Level Scrutiny Committee) का गठन किया जाता है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, — अध्यक्ष
2. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, — सदस्य
3. शासन सचिव, जनजातीय विकास विभाग — सदस्य

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के कार्य (Functions/ Duties of the State Level Scrutiny Committee):-

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निम्न कार्य होंगे:-

1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय समय पर नीति निर्धारित करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
2. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
3. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
4. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
5. गलत प्रमाणपत्र के मामले में नियोक्ता/शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
6. विश्लेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृतियां।
7. शंकास्पद जाति प्रमाणपत्र के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अन्तिम निर्णय करना।
8. विजिलेन्स सैल के सतर्कता अधिकारी को संबंधित जगह पर जांच करने की सूचना देना और उसका ब्यौरा प्राप्त करना।
9. विजिलेन्स सैल के कामकाज/कर्मचारियों की नियुक्ति आदि करना।

P.T.O.

(38)

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की शक्तियां (Powers of State Level Scrutiny Committee)

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निम्न अधिकार होंगे

1. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए सक्षम/किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति से जारी जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे यथावत रखने या रद्द करने की संपूर्ण शक्तियां समिति को होंगी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी रहेगा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के प्रावधान के तहत की गई कार्यवाही के अध्यधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरणों का निराकरण जहां तक संभव हो यथाशीघ्र करेगा जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील नहीं की जा सकेगी। परन्तु संविधान के अनुच्छेद-136 के अध्यधीन प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकेगी।
3. शंकास्पद प्रमाणपत्रों के मामले में बचाव का उचित मौका देना होगा।
4. बचाव की समय-मर्यादा में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
5. पेश किये गये आधार/प्रमाण अमान्य करना।
6. गलत प्रमाणपत्र धारण करने के मामले को नैतिक अधःपतन मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से नालायक (Unfit) घोषित करना।
7. सजा के लिये कानूनी शिकायत दर्ज करवाना।

जो प्रमाण पत्र छानबीन समिति के समक्ष छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जावें, उनका निराकरण छानबीन समिति यथासंभव शीघ्र किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नहीं हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि को कारण अभिलेखित करते हुए अधिकतम छः माह तक और बढ़ा सकेगी।

जाति प्रमाण पत्रों के अभिलेखों का संधारण -

जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसका संधारण जिस प्रकार से राजस्व प्रकरणों में दर्ज किया जाता है, उसी तरह से जाति प्रमाण पत्रों को भी दर्ज किया जाना चाहिये. जिस कागज में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये, वह अच्छी किस्म का लेमिनेटेड हो। जाति प्रमाण पत्र की कम्प्यूटर फाइल, अनुक्रमांक, वर्णन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, मुद्रा, तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

45

54

क्रमांक प.6(10)प.मु.वि / अनु –3 / 2011 जयपुर दिनांक [illegible] .2011

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. वरिष्ठ उप सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
12. समस्त संभागीय आयुक्त ।
13. समस्त जिला कलक्टर ।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक ________ ।
15. सचिव, समस्त आयोग / बोर्ड ________ ।
16. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ________ ।

नोट - भविष्य में समिति से संबंधित पत्र व्यवहार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से करें।

अनुभागाधिकारी

40

(46)

42

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक एफ ( )( )आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./12/7376-409 जयपुर, दिनांक: 24-1-2013

समस्त जिला कलक्टर,

....

....

विषयः—अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों के सरलीकरण, नवीन प्रारूप एवं समस्त राज्य में एकरूपता के संबंध में नवीन संशोधन।

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाए गये कि अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में सम्पूर्ण राज्य में एकरूपता नहीं है। इन प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले अधिकारी भिन्न प्रारूप में उक्त प्रमाण पत्र जारी करते हैं तथा इनके साथ ही प्रमाण पत्र चाहने वाले आवेदकों द्वारा भिन्न रूप से आवेदन पत्र का प्रारूप भरकर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जिससे सम्पूर्ण राज्य में आवेदन पत्रों के प्रारूप एवं जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में एकरूपता नहीं है, इससे आवेदकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

राज्य सरकार ने गहन विचार विमर्श उपरान्त राज्य में तहसील एवं अन्य स्तरों पर जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्रों की एकरूपता एवं इनके साथ संलग्न दस्तावेजों आदि में प्रस्तावित संशोधन एवं सरलीकरण के बारे में निर्णय लिये हैं। निर्णयानुसार अब भविष्य में संलग्न प्रारूपों के अलावा अलग से कोई प्रारूप अपने स्तर पर नहीं बनाये जावे।

राज्य सरकार के उक्त निर्णय की पालनार्थ आपको अनु.जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जारी होने वाले प्रमाण पत्रों, आवेदन पत्रों स्वयं संलग्न दस्तावेज आदि के प्रारूप की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है एवं निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में संलग्न प्रारूप अनुसार ही आवेदन पत्र, दस्तावेज, स्वयं जारी होने वाले

(41)

प्रमाण पत्र प्रारूप मे ही समस्त कार्यवाही संपादित करावें। संलग्न प्रारूप से भिन्न किसी प्रारूप मे नहीं।

इसके अलावा यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त नवीन प्रारूप के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी करावें ताकि आवेदको एवं इन्हें जारी करने वाले अधिकृतियों (Authorities) को कठिनाई ना हो। राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्रों के संबंध में लिये गये निर्णय निम्नानुसार है–

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्रः–

1. अधिकृत अधिकारीः–जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम पद का नही हो।
2. पूरे राज्य में आवेदन पत्र संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र का एक समान प्रारूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। आवेदन पत्र प्रारूप की प्रति परिशिष्ठ–ए तथा प्रमाण पत्र प्रारूप परिशिष्ठ–बी पर संलग्न है।
3. प्रमाण पत्र हिन्दी में जारी किया जावेगा। आवश्यकता होने एवं मांग करने पर अंग्रेजी में भी जारी किया जावेगा।
4. प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा–,
   - (अ) प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट–फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate copy) जारी की जावे।
   - (ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावे।
   - (स) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए मांग, पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (Renewed Certificate) जारी किया जावेगा।
5. सभी विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यप्रति को आवेदन पत्र के साथ ग्रहण योग्य मानेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाया जावेगा।

J.J

(42)

5. अभ्यर्थी के चयन/भर्ती के अन्तिम स्तर पर ही सत्यप्रति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे तथा इसका सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से भी किया जा सकता है। इससे पूर्व अभ्यर्थी की स्व घोषणा एवं नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रारम्भिक चयन कार्यवाही के लिए स्वीकार किये जावे।
6. आवेदन के साथ दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक या प्रमाण पत्र नहीं मांगे जावेंगे। दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक अथवा प्रमाण पत्र की बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) की तस्दीक साक्ष्य हेतु ग्राहय मानी जायेगी।
7. एक व्यक्ति के सभी पुत्र पुत्रियों के प्रमाण पत्र एक ही आवेदन पत्र पर जारी किये जा सकेंगे यद्यपि प्रमाण पत्र सभी के पृथक पृथक जारी किये जायेंगे।
8. किसी भी विभाग द्वारा स्वयं के द्वारा अलग से तैयार किये गये प्रारूप /बुकलेट आदि में प्रमाण पत्र नहीं मांगा जावेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

1. अधिकृत अधिकारी – संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर)/उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार/नायब तहसीलदार से कम पद का नहीं हो जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार रहता है।
2. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर (परिशिष्ठ–जी) पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

T.J

3. ओबीसी संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा। परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के लिए प्रार्थी के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा--

(अ) प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate copy) जारी की जावे।

(ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावे।

(स) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए मांग पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (Renewed Certificate) जारी किया जावेगा।

4 कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों के लिए पृथक पृथक आवेदन करने के बजाय एक ही आवेदन पत्र से सभी का प्रमाण पत्र बनवा सकेगा परन्तु सभी के लिए प्रमाण पत्र अलग-अलग जारी किये जायेंगे।

5 दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक अथवा प्रमाण पत्र की बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापोर/नगर निगम सदस्य/ नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) की तस्दीक साक्ष्य हेतु ग्राहय मानी जायगी तथा उनके द्वारा देय साक्ष्य परिशिष्ठ-सी अनुसार होगा।

6 सभी विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति को आवेदन पत्र के साथ ग्रहण योग्य मानेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाया जायेगा। अन्तिम सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से किया जा सकता है।

7 पूरे राज्य में आवेदन पत्र संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र का एक समान प्रारूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया

(अ) पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (Non Creamy layer) कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2009 में निर्दिष्ठ प्रारूप परिशिष्ठ-डी के अनुसार जारी किया जायेगा।

(ब) विशेष पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (Non Creamy layer) कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2009 में निर्दिष्ठ प्रारूप परिशिष्ठ–ई के अनुसार जारी किया जायेगा।

(स) केवल अन्य पिछड़ा वर्ग व केवल विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप उपरोक्त परिशिष्ठ–डी व ई के अनुसार क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी पैरा 3 को काटकर (Delete) कर जारी किया जावेगा।

8 आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य सरकार (कार्मिक (क–5) 90 दिनांक 21.3.1994 द्वारा निर्धारित है) जो परिशिष्ठ–एफ अनुसार है।

उपरोक्त नवीन संशोधित प्रारूपों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व भली भांति नियमों का अध्ययन कर लेवे तथा नियमों की परिधि में ही राजस्व रिकार्ड अन्य अभिलेख एवं आवश्यक विश्वसनीय जांच करने के पश्चात् ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान करें। प्राधिकृत अधिकारी आवेदक की जाति से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी करें।

संलग्न–संशोधित नवीन प्रारूप
[परिशिष्ठ ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी]

आयुक्त एवं ~~शासन सचिव~~

(51)

क्रमांक एफ.11( )( )आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./12/7410-7710 जयपुर, दिनांक: 24-1-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सचिव/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण राज0 जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव, राजस्थान सरकार..
6. समस्त विभागाध्यक्ष...
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. आयुक्त, जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग, जयपुर।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग............................
10. गार्ड फाईल।

आयुक्त एवं शासन सचिव

परिशिष्ठ – ए

कोर्ट फीस स्टाम्प
2/– रुपया

जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)

1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को ✓ से चयन करे)

प्रार्थी का फोटो
(पासपोर्ट साईज)
(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावें)

1 प्रार्थी का नाम* ______

2. पिता का नाम* ______

3. निवासी स्थान का पूर्ण पता*

(क) वर्तमान पता :– ______

(ख) स्थाई पता :– ______

4. गाँव/शहर* ______ तहसील* ______ जिला* ______

5. जन्म दिनांक: __/__/__ जन्म स्थान ______ उम्र ______

6. लिंग* ☐ पुरुष ☐ महिला वैवाहिक स्थिति : ☐ विवाहित ☐ अविवाहित

7. धर्म (आवेदक)*: ______ जाति* : अनुसूचित जाति/ जनजाति उप जाति* ______

8. धर्म (पिता का)* ______ जाति* : ______ उप जाति* ______

9. प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है* ______

10. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* ☐ हाँ ☐ नहीं

11. मोबाईल नम्बर ______ (जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)

मैं तसदीक करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं।

जन्म दिनांक: __/__/__

स्थान ______

आवेदक के हस्ताक्षर

हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

...तात्विक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी [ ]

...पुत्री श्री [ ] निवासी [ ]

.../की है। यह अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [ ] का/की हैं।

...का राशन कार्ड नम्बर [ ] दिनांक [ ]

हस्ताक्षर पटवारी
हलका नं ....

प्रमाण–पत्र

(i) गवाह* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

विभाग का नाम [ ] पद [ ] पर

कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

को भली प्रकार से जानता हूं ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [ ]

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

विभाग का नाम [ ] पद [ ] पर

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

को भली प्रकार से जानता हूं ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [ ]

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

D/Ankesh/Cast Certificates

[illegible] आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :–

[illegible] की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे [illegible] करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

[illegible] पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

[illegible] कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक संबंधी/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, [illegible] टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।

[illegible] पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण [illegible] शिक्षा प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

[illegible] उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा– संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी–कर्मचारी/जिला [illegible] प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी /महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर [illegible] का अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता।

शपथ–पत्र

[illegible] ________ पुत्र/पुत्री श्री ________

निवासी ________

गांव/शहर ________ तहसील ________ जिला ________

राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि :

(1) मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति ________ का/की सदस्य हूं।

(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।

(3)मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि सूचना सं. 1 से 4 की उपर्युक्त विशिष्ठियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं, ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

D/Ankesh/Cast Certificates

(55)

परिशिष्ठ –बी

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप

जाति का प्रमाण पत्र फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----------------------------
सुपुत्र/पुत्री ---------------------------- गांव/नगर ----------
जिला/डिवीजन ---------------- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ----------------
जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार जाति/अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है :–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित) संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति, आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी ---------------- और अथवा उसी परिवार ----------------
गावं/नगर ---------------------- जिला/डिवीजन
---------------------- राज्य। संघ राज्य क्षेत्र ---------------- में
सामान्यतया रहता है।

हस्ताक्षर ----------------
पद नाम ----------------
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान ---------------------- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
तारीख ----------------------

कृपया उन शब्दों को हटा दीजिये जो लागू नहीं है।

विशेष ध्यान दें।

यहां प्रयुक्त हुए सामान्यतया रहता है। शब्दों का अर्थ वहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

D/Ankesh/Cast Certificates

(56)

(8)

परिशिष्ठ– सी

पिछड़ा वर्ग साक्ष्य द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति

(i) गवाह* :

पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम कार्यालय का नाम

पद पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम कार्यालय का नाम

पद पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

57

हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एव शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी [ ]

पुत्र/पुत्री श्री [ ] जाति [अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग] उपजाति [ ]

का/की है। प्रार्थी क्रिमीलियर की श्रेणी में आता है/नही आता है।

हस्ताक्षर पटवारी

हलका नं ....

नोट :– आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :–

आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक सम्बन्धी/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।

पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, आय प्रमाण पत्र/आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा– संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता/

D/Ankesh/Cast Certificates

शपथ–पत्र / बयान

.... पुत्र / पुत्री श्री ....

निवासी ....

ग्राम / शहर .... तहसील .... जिला ....

राजस्थान का / की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूं कि

(1) मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य / विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति .... का / की सदस्य हूं।

(2) मेरे माता / पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह 'क' वर्ग–1, समूह 'ख' वर्ग–2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल / जल / वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं / नहीं थे।

(3) मेरे माता / पिता सरकारी / निजी सेवा में .... पद पर कार्यरत है / थे।

(4) मेरे माता / पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय .... रूपये हैं।

(5) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।

(6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(7) यह कि मैंने किसी भी जिले / प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्ठियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गो की क्रिमीलेयर का हूं / नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं, चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थीता / नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होंगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

59

परिशिष्ट –डी

फोटो

रजिट्रेशन ....

दिनांक :

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने
के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/~~श्रीमती/कुमारी~~ ———————————— पुत्र/पुत्री ——————— राजस्थान राज्य के जिला ——————————— में ग्राम/नगर ——————————— की निवासी हैं तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते हैं।

2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————— राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी/एसजेईडी/09/47032 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से ——————————— वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————— आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना संख्या प/7(8)कार्मिक/क–2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*(राज्य के पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

D/Ankesh/Cast Certificates

54

60

परिशिष्ठ– ई

फोटो

रजिस्ट्रेशन ....

दिनांक

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री / श्रीमती / कुमारी ———————— पुत्र / पुत्री ———————— राजस्थान राज्य के जिला ———————— की निवासी हैं तथा ये / और या इनका कुटुम्ब यहां ग्राम / नगर में स्थाई रूप से निवास करता / करती / करते हैं।
2. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी ———————— राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी / एसजेईडी / 09 / 46855 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के विशेष पिछड़े वर्गो की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गो में से ———————— वर्ग / जाति के / की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी ———————— आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना संख्या प / 7(8)कार्मिक / क–2 / 2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का / की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर / सील सहित

*(राज्य के विशेष पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

(61)

परिशिष्ट – एफ

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नौकरियों के आरक्षण के लिये पात्रता हेतु प्रमाण–पत्र के लिये आवेदन का प्रारूप।

(तथापि, यह प्रारूप केवल मॉडल के रूप में प्रयुक्त किया जावेगा। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त मदें स्थानीय स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार प्रारम्भ में सम्मिलित की जा सकेंगी)

प्रेषिती

____

____

____

महोदय,

मैं निवेदन करता हूं कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण–पत्र मंजूर किया जाए।

मैं आवश्यक विशिष्ठयाँ नीचे दे रहा हूं:–

1– आवेदक का पूरा नाम :
(बड़े अक्षरों में)

2– जन्म तिथि :

3– निवास का पूर्ण पता :
(क) वर्तमान
(ख). स्थाई

4– धर्म

5– जाति

6– उपजाति :

7– उपजीविका – वर्ग

8– अ.पि.व. की राज्य सूची में
जाति का क्रम संख्यांक :

9– पिता का नाम

10– माता का नाम :

11– पति का नाम

12– माता–पिता / पति की प्रास्थिति

	पिता	माता	पति
[क] संवैधानिक पद			
[ख] पद नाम			
[ग] सरकारी सेवायें			

	पिता	माता	पति
(i) सेवा (केन्द्रीय / राज्य)			
(ii) पद नाम			
(iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।			

D/Ankesh/Cast Certificates

(iv) पद पर नियुक्ति की तारीख

(v) वर्ग / पद पर पदोन्नति के समय
आयु (यदि लागू न हो)

(II) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उद्वाहरणार्थ संयुक्त
राष्ट्र, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन

(i) संगठन का नाम

(ii) पद नाम

(iii) सेवा की कालावधि
(दिनांक .... से .... तक)

(III) मृत्यु / स्थाई अक्षमता (यदि लागू हो तो
छोड़ दीजिए)

(i) मृत्यु / अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।

(ii) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन

(i) संगठन का नाम ....

(ii) पद का नाम

(iii) पद पर नियुक्ति की तारीख

(घ) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल

(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगें)

(i) पद नाम

(ii) वेतनमान

(ङ) व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के
अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये
व्यक्ति।

(i) उप–जीविका / वृत्ति

(च) सम्पत्ति के स्वामी

(छ) कृषि जैसे (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)

(1) अवस्थिति

(2) जोत का आकार

(3) क – सिंचित
सिंचित भूमि का प्रकार
1.
2.
3.

63

(ख) असिंचित।

4. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।

5. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो–राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।

6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

(ग) बागान
1 फसल/फल
2 अवस्थिति
3 बागान का क्षेत्र

(घ) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और/या भवन

1 सम्पत्ति की अवस्थिति।
2 सम्पत्ति का ब्यौरा
3 उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

(ड) आय/धन।

(च) 1 समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)
2 क्या करदाता है (हां/नहीं)(   ) यदि हां तो गत तीन वर्षो की विवरणी की प्रति दी जावे।
3 क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां/नहीं)(यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)

(छ) अन्य कोई अभ्युक्तियां।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उर्पयुक्त विशिष्टीयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गो की क्रिमीलेयर का नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्युक्ति नियुक्ति रद्दीकरणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होउंगा जो विधि और या नियमों के उपाबधित की जायें।

भवदीय,

स्थान.

दिनांक   अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप :–

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी .... सुपुत्र / पुत्री / पत्नी / .... ग्राम / नगर.................................... जिला / खण्ड .... राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना प.11(125)आर.एण्ड पी. / सकवि / 46631 दिनांक 27.0.93 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिये पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से .... वर्ग / जाति के सदस्य हैं। श्री .... और / या उसका कुटुम्ब .... राज्य के .... जिला खण्ड .... में स्थायी तौर से निवास करता है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना, संख्या प.9 (8)कार्मिक / क–5 / 90 दिनांक 28.9.93 के साथ उपाबद्व अनुसूची के यस्तम्भ 3 में उल्लेखित अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है। अर्थात उक्त अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों / वर्गो (क्रीमीलेयर) का नहीं है

हस्ताक्षर

जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी

दिनांक

मोहर

D/Ankesh/Cast Certificates

(65)

परिशिष्ठ — जी

(अक्षरे दस रुपये (10/—रु.) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयन का समयावधि एक वर्ष वृद्धि के शपथ पत्र का प्रारूप

मैं श्री .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ...... उम्र ....

निवासी ....तहसील ....

जिला .... राजस्थान शपथ पूर्वक निम्न प्रकार बयान / घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि —

1. राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के संबंध में मुझे सक्षम अधिकृत (कार्यालय का नाम) ....से क्रमांक........................ दिनांक .... द्वारा एक वर्ष के लिए प्रमाण पत्र जारी हुआ था।

2. मेरी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय के अनुसार आगामी एक वर्ष के लिए भी मैं राज्य सरकार द्वारा घोषित क्रीमीलेयर की सीमा नहीं हूँ।

3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 3 तक मेरी निजी जानकारी में सत्य एवं सही है। इसमें कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम .... पिता का नाम ....
जाति ....उम्र........................वर्ष, निवासी ....
ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथ पूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षरकर्ता

स्थान

दिनांक

प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट / नोटेरी पब्लिक) का नाम व पदमय सील

(60)

परिशिष्ट : बी

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक प. 8(10)प्र.सु./अनु.3/2011 दिनांक 23-7-2015

आदेश

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संदेहास्पद / फर्जी एवं अनाधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले रहे है, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने का निर्णय दिये है। अतः ऐसे संदेहास्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाता है:-

- जिला स्तरीय

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)	समन्वयक
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा), जिला परीषद	सदस्य
4.	संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट / उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
5.	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य

<u>जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्य एवं शक्तियां</u>

1. समिति की बैठक प्रतिमाह आवश्यक रूप से की जावेगी तथा समिति में जो भी मामले प्राप्त होंगे उन सब मामलों का एक रजिस्टर में नियमित रूप से संधारण किया जायेगा। तथा समिति की बैठक आयोजित करने के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होगें।
2. समिति में झूंठे, फर्जी एवं शंकास्पद जाति प्रमाण-पत्रो के मामले दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रो की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रमाण-पत्र की वैधता/अवैधता के संबध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगीं। तथा उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब संबंधित पक्षों को दी जावेगी। नाबालिग की स्थिति मे उसके माता-पिता / संरक्षक को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नही किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

/2/..

3. जाति प्रमाण पत्रों की सत्यता का परीक्षण करने के समय संबंधित पक्षों तथा [illegible] जिसका जाति प्रमाण-पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये जा सकेंगे।
4. जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायतकर्ता एवं वह पक्ष जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर वह राज्य स्तर छानबीन समिति में जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 8(10) प्र०सु०वि०/अनु-3/2011 जयपुर दिनांक 18.03.11 द्वारा किया गया है।
5. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवायी करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
6. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
7. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (unfit) घोषित करना।
8. गलत प्रमाण पत्र के मामलों में नियोक्ता/ शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।

(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
2) प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
5) निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
11) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12) समस्त संभागीय आयुक्त..................
13) समस्त जिला कलक्टर..................
14) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक..................
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड..................
16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग..................

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः–एफ 11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/54159 जयपुर दिनांक 09/09/2015

जाति प्रमाण–पत्र – दिशा निर्देश

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबध मे निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

1. **जाति प्रमाण पत्र :–** जाति प्रमाण पत्र से तात्पर्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये समय–समय पर जारी किये गये गजट नोटिफिकेशन / अधिसूचनाओं में शामिल जातियों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किये गये प्रमाण पत्र से है।
2. **जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी–** जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जायेगें।
3. **जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रियाः–**

(A) आवेदक–

(I) राजस्थान राज्य का मूल निवासी :– ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग का राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

(II) अन्य राज्यो से माईग्रेट होकर आये व्यक्तियो के संबध मे :– यदि आवेदक मूल रूप से राजस्थान राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य का निवासी है तथा माईग्रेट होकर शिक्षा/रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य मे स्थायी रूप से निवास कर रहा है तथा यही से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति की संतान को राजस्थान राज्य मे जन्म के आधार पर जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन हेतु पात्र होगी।

(B) आवेदन पत्र का प्रारूप एवं सलंग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–

(I) SC/ST हेतु आवेदन परिशिष्ट 'अ' अनुसार

(II) OBC/SBC हेतु आवेदन परिशिष्ट 'क' अनुसार

सलंग्न दस्तावेज सूची

(I) राशनकार्ड/मतदाता सूची/ अचल सम्पति के मालिकाना हक संबधी दस्तावेज/ किरायेनामा / गैस कनेक्शन/ बिजली, पानी, टेलिफोन का बिल/शिक्षा प्रमाण–पत्र।

(II) पिता की जाति का साक्ष्य हेतु प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो) भूमि की जमा बन्दी, आय प्रमाण–पत्र हेतु (जिनके पास आई.टी.आर एवं राज्य/केन्द्रीय

(69)

अधिकारी/कर्मचारी की वेतन पत्र/पे-स्लीप नही है तो निर्धारित प्रमाण-पत्र मे दो अलग-अलग राज्य केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सलंग्न करें) आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज/ मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जाति का उल्लेख हो यदि उपलब्ध हो तो आवेदन पत्र के साथ सलंग्न किया जावेगा

(III) OBC/SBC के लिये उत्तरदायी व्यक्तियो द्वारा देय साक्ष्य (परिशिष्ट-च) अनुसार, उत्तर दायी व्यक्ति से आशय संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/ जिला प्रमुख/ प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/सरपंच / राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से है।

(IV) आवेदन पत्र मे आवेदक के पास आधार नम्बर/भामाशाह कार्ड होने की स्थिति मे उक्त नम्बर का अंकन किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नही है एवं उसके परिवार के मुखिया को जारी किये गये भामाशाह कार्ड मे उसका नाम अंकित है तो मुखिया को जारी भामाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।

(C) <u>आवेदन जांच एवं आवेदन पत्र तथा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप:-</u>

(I) सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिक यथा पटवारी/गिरदावर आदि से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किये गये पत्रांक संख्या BC.12025/2/76- SCT.I 22 मार्च 1977 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-k)आवेदक के पैतृक/ स्वंय के राजस्व रिकार्ड आदि मे उसके जाति का परीक्षण करवाया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो शैक्षणिक रिकार्ड/नगरपालिका/ग्राम पंचायत के रिकार्ड का भी जांच/परीक्षण किया जा सकेगा जिसमे उसके स्वयं /पैतृक जाति की पुष्टि होती हो। परीक्षण उपरान्त जाति प्रमाण पत्र हिन्दी एवं अग्रेजी द्विभाषा में एक साथ ही जारी किया जायेगा।

(II) SC/ST एवं OBC/SBC हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट 'ब' 'ख' 'ग' अनुसार ही मान्य होगा।

(III) OBC/SBC के लिये जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप उपरोक्त परिशिष्ठ ख व ग के अनुसार क्रिमीलेयर मे नही होने संबधी पैरा 3 को काटकर (Delete) कर जारी किया जायेगा।

(IV) भारत सरकार मे नियुक्तियो के लिये **परिशिष्ट-घ** अनुसार

(D) <u>जाति प्रमाण-पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रति :-</u> सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नाकित परिस्थितियो मे दुबारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।

(I) प्रमाण-पत्र गुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate Copy) जारी की सकेगी।

(II) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।

(III) कालान्तर मे आयु वृद्वि के अनुसार पहचान के लिए मांग करने पर नये फोटो युक्त नवीन प्रमाण-पत्र (Revised Certifiate) जारी किया जावेगा।

(IV) यदि जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी आवेदक के आवेदन को किसी कारण से खारिज/निरस्त करता है तथा आवेदक यह महसूस करता है कि उसका आवेदन पत्र एवं उसके साथ समस्त सलंग्न दस्तावेज सत्य है तथा वह उक्त जाति प्रमाण-पत्र

मे जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष को लिखित मे समस्त साक्ष्यो सहित आवेदन कर सकेगा। जिला स्तरीय समिति उक्त आवेदन पत्र का गहनता से जांच/परीक्षण कर यदि समिति का यह निष्कर्ष रहता है कि आवेदक का आवेदन पत्र सही है तो वह संबन्धित सक्षम अधिकारी को नियमानुसार जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निर्देश दे सकेगी। एवं यदि आवेदन पत्र खारिज योग्य पाया जाता है तो उसे समिति द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा परन्तु निरस्त का आदेश कारणो सहित जारी किया जायेगा।

4. **जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि :–**

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण–पत्रो की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि OBC के लिये संबधी प्रमाण–पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर मे नही होने संबधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
2. क्रिमीलेयर मे नही होने संबधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर में नही होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी क्रिमीलेयर मे नही है तो ऐसी स्थिति मे उससे सत्यापित शपथ–पत्र **(परिशिष्ट–ङ)** लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

5. **जाति प्रमाण–पत्रो का सत्यापन :–**

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण–पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक द्वारा उक्त जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान मे प्रवेश लेने, किसी नियोक्ता के अधीन सेवा मे नियोजित होने या अन्य किसी प्रयोजन के लिए यदि उक्त जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर कोई आरक्षण/रियायत प्राप्त की गयी हो तो शैक्षणिक संस्थान, नियोक्ता या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त जाति प्रमाण–पत्र के सत्यापन करवाये जाने की स्थिति मे जिला कलक्टर द्वारा उक्त जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन करवाया जाकर सत्यापन रिर्पोट संबन्धित प्राधिकारी को उनके वांछितानुसार भिजवायी जा सकेगी। उक्त सत्यापन रिर्पोट 6 माह में आवश्यक रूप से भिजवाई जानी आवश्यक होगी। यदि कोई प्रकरण सर्तकता समिति एवं छानबीन समिति मे विचाराधीन है तथा उसमे अन्तिम निर्णय मे विलम्ब हो रहा हो तथा शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता के यहां पर निर्धारित अंतिम तिथि निकल गयी हो तो शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता द्वारा अस्थायी (PROVISIONAL) प्रवेश/नियुक्ति दी जाएगी तथा वह प्रवेश/नियुक्ति छानबीन समिति के निर्णय के आधीन रहेगी।

6. **जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति :–**

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के शंकाग्रस्द, फर्जी /झूठा जाति प्रमाण–पत्र जारी हो जाने की स्थिति मे एवं जाति प्रमाण–पत्र की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त जाति प्रमाण–पत्र के परीक्षण/जांच हेतु प्रत्येक जिले मे एक जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र सतर्कता समिति का प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.6(10)प्र0सु0./अनु. 3/2011 दिनांक 23.07.15 को गठन किया गया है। (परिशिष्ठ–बी) जो कि निम्न प्रकार से है :–

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)	समन्वयक
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा), जिला परिषद	सदस्य
4.	संबन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/ उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
5.	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य

A 9.9.15

उपरोक्त समिति मे झूठे फर्जी एवं शंकास्पद जाति प्रमाण–पत्रो के मामले दर्ज किये जा सकेगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण–पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रमाण–पत्र की वैद्यता/अवैद्यता के संबध मे समुचित आदेश दो माह मे जारी करेगी। तथा संबन्धित पक्षो को उक्त निर्णय से पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब सूचना दी जावेगी। परन्तु उक्त सूचना अधिकतम एक माह मे दी जावेगी तथा नाबालिग की स्थिति मे उसके माता–पिता/संरक्षक को तत्काल सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि मे निर्णय नही किया जा सकता है तो उसके कारणो का अकंन किया जाना आवश्यक होगा। तथा निर्णय की सूचना शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता को भी तत्काल दी जावेगी।

जाति प्रमाण–पत्र की सत्यता का परीक्षण करने के समय सम्बन्धित पक्षो यथा शिकायतकर्त्ता एवं जिसका जाति प्रमाण–पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किया जावेगा एवं नाबालिग की स्थिति मे उसके माता–पिता/संरक्षक को ऐसे नोटिस जारी किये जा सकेगे।

7. <u>जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्व राज्य स्तरीय छानबीन एवं सर्तकता समिति में अपील :–</u>

जाति प्रमाण–पत्र के सबध मे शिकायतकर्त्ता एवं वह पक्ष जिसके विरूद्व शिकायत की गयी है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से अंसुतष्ट होने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति मे जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस मे अपील की जा सकेगी।

झूठे एवं शंकास्पद/फर्जी जाति प्रमाण–पत्रो को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणो को रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 6(10)प्र.सु.वि/अनु–3/2011 जयपुर दिनांक 18.03. 2011 (**परिशिष्ट–ए**) द्वारा निम्न प्रकार से राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है :–

1.	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
3.	शासन सचिव, जनजातिय विकास विभाग	सदस्य

उक्त राज्य स्तरीय छानबीन समिति जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति से प्राप्त निर्णय के विरूद्व अपील दायर होने पर युक्तियुक्त समय मे उक्त जाति प्रमाण पत्र के संबध मे जिला स्तरीय समिति के निर्णय का परीक्षण करेगी तथा आवश्यकता होने पर अपने स्तर पर पुनः संबन्धित प्रकरण यथा जाति प्रमाण–पत्र, प्रस्तुत किये गये साक्ष्य/दस्तावेज एवं जिला स्तर पर की गयी जांच रिर्पोट का परीक्षण कर अपने स्तर पर निर्णय करेगी। एवं राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय उचित है तो अपील को राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। एवं जिला स्तरीय समिति का निर्णय अनुचित पाये जाने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के संबध में उचित आदेश जारी किया जा सकेगा जिसकी पालनाके लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी बाध्य होगा एवं इस निर्णय को केवल माननीय उच्च न्यायालय मे ही चुनौती दी जा सकेगी। छानबीन समिति द्वारा पारित किए गये निर्णय को शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता को तत्काल निर्णय से अवगत कराया जावेगा।

8. <u>राज्य सर्तकता प्रकोष्ठ :–</u>

जाति प्रमाण पत्रो के संबंध में आवश्यक जाँच पडताल करने बाबत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11(1)/छा0स0/आरएण्डपी/सान्याअवि/12/40560 दिनांक 04.0814 द्वारा निम्न प्रकार से एक राज्य प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।(परिशिष्ठ–सी)

1. उपनिदेशक(पिजा0) मुख्यावास सान्याअवि जयपुर।
2. विधिअधिकारी / विधि सहायक मुख्यावास सान्याअवि जयपुर।

3. संबधित समाज कल्याण अधिकारी

4. संबधित सयुक्त शासन सचिव/ उपशासन सचिव जनजातिय क्षेत्रीय विभाग जयपुर। उपरोक्त प्रकोष्ठ छानबीन समिति के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

9. **झूठे जाति प्रमाण पत्रो के संबध में दण्डात्मक कार्यावाही:–**
किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये जाति प्रमाण पत्र के संबध में जॉच के पश्चात यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत तथ्यों /साक्ष्यों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उसके विरूद्ध आवश्यक रूप से कानूनी कार्यावाही की जा सकेगी। इसके अलावा जाति प्रमाण जारी करने वाले सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा यदि निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों का उल्लघन करके अवैध प्रमाण पत्र जारी किया है तो उन दोषी कार्मिकों / प्राधिकारियों के विरूद्व भी आवश्यक रूप से कानूनी कार्यावाही की जावेंगी।

10. **रिकार्ड संधारण –**

(I) जाति प्रमाण–पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि व्यक्ति के पूर्वजो एवं भावी पीढी की पहचान का आधार होता है जाति प्रमाण–पत्र के संबध मे प्रत्येक तहसील कार्यालय मे एक संकलित स्थायी रजिस्ट्रर का संधारण करते हुए उक्त समस्त रिकार्ड साफ–सुथरे एवं अच्छी सुरक्षा मे रखे जायेगे तथा उक्त जाति प्रमाण–पत्रो का आजीवन स्थाई रिकार्ड संधारित किया जावेगा। उक्त रिकार्ड निरीक्षण के लिये सदैव उपलब्ध करवाये जायेगे।

(II) **रिकार्ड रखरखाव अवधि–**

(क) जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों का एक संकलित रजिस्ट्रर/ रिकार्ड सधारित किया जायेगा जो कि स्थायी रूप से आजीवन रहेगा।

(ख) व्यक्तिगत जाति प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकार्ड में रखी जायेगी तथा उसकी रखरखाव की अवधि न्यूनतम 30 वर्ष होगी।

11. **ऑन लाईन आवेदन** :– अनुसूचित जाति / जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप मे समस्त दस्तावेजो सहित सम्पूर्ण राज्य मे कार्यरत ई–मित्र केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं जिले मे नेशनल ई–गर्वनेंस प्लान के तहत स्थापित किये जाने वाले सीएससी केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) के माध्यम से जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जायेगा। सभी जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बेबसाइट से ऑन–लाईन जारी किये जायेगें। आवेदन पत्र मे आवेदक के पास आधार नम्बर/भामाशाह कार्ड होने की स्थिति मे उक्त नम्बर का अंकन किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नही है एवं उसके परिवार के मुखिया को जारी किये गये भामाशाह कार्ड मे उसका नाम अंकित है तो मुखिया को जारी भामाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।

उक्त दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

सलंग्न:– उपरोक्तानुसार

9.9.2015
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

73

54160-290

क्रमांकः--एफ 11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/ जयपुर दिनांक 09/09/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1) निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय सान्याअवि राजस्थान सरकार जयपुर
2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
3) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
4) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
5) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
6) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
7) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
8) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
9) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10) समस्त संभागीय आयुक्त.......................................
11) समस्त जिला कलक्टर.......................................
12) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.......................................
13) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.......................................
14) समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग...........................
15) गार्ड फाईल

9.9.15

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ठ — अ

कोर्ट फीस स्टाम्प

2/— रूपया

जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)

1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को / से चयन करें)

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावें)

1. प्रार्थी का नाम*
2. पिता का नाम*
3. निवासी स्थान का पूर्ण पता*

(क) वर्तमान पता :–

(ख) स्थाई पता :–

4. गाँव/शहर* तहसील* जिला*
5. जन्म दिनांक: __/__/__ जन्म स्थान उम्र
6. लिंग* पुरूष महिला वैवाहिक स्थिति : विवाहित अविवाहित

7- धर्म (आवेदक)*: जाति* : अनुसूचित जाति/ जनजाति उप जाति*

8. धर्म (पिता का)* जाति* : उप जाति*
9. प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है*
10. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* हाँ नहीं
11. मोबाईल नम्बर (जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबधित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)

मैं तसदीक करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं।

जन्म दिनांक: __/__/__

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

D/Ankesh/Cast Certificates

75

हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री श्री निवासी

के/की है। यह अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति का/की है।

प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी
हलका नं ....

प्रमाण–पत्र

(i) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम पद पर

कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूं ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम पद पर

पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूं ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

D/Ankesh/Cast Certificates

नोट :– आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :–
आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक सम्बन्धी/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।
पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा– संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी–कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी /महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता

शपथ–पत्र

मैं ______________ पुत्र/पुत्री श्री ______________

निवासी ______________

गांव/शहर ______________ तहसील ______________ जिला ______________

राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि :

(1) मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति ______________ का/की सदस्य हूं।

(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।

(3)मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि सूचना सं. 1 से 4 की उपर्युक्त विशिष्ठियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं, ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

78

परिशिष्ठ –ब

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप

जाति का प्रमाण पत्र

आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या	

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ———————————
सुपुत्र/पुत्री ——————————— गांव/नगर ———————————
जिला/डिवीजन ——————— राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ———————————
जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार जाति/अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है :–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनगर्ठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित)
संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति, आदेश 1962, संविधान (पांडेचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी ——————————— और अथवा उसी परिवार ———————
गावं/नगर ——————————— जिला/डियीजन
——————————— राज्य। संघ राज्य क्षेत्र ——————— में
सामान्यतया रहता है।

हस्ताक्षर ———————
पद नाम ———————
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान ——————————— राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
तारीख ———————————

कृपया उन शब्दों को हटा दीजिये जो लागू नहीं है।

विशेष ध्यान दें।
यहां प्रयुक्त हुए सामान्यतया रहता है। शब्दों का अर्थ वहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

D/Ankesh/Cast Certificates

परिशिष्ठ – क

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नौकरियों के आरक्षण के लिये पात्रता हेतु प्रमाण–पत्र के लिये आवेदन का प्रारूप।

(तथापि, यह प्रारूप केवल मॉडल के रूप में प्रयुक्त किया जावेगा। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त मदें स्थानीय स्थिति की उपयुक्ता के अनुसार प्रारम्भ में सम्मिलित की जा सकेगी)

प्रेषिती

____

____

____

महोदय,

मैं निवेदन करता हूं कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण–पत्र मंजूर किया जाए।

मैं आवश्यक विशिष्ठयाँ नीचे दे रहा हूं:–

आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या	

1– आवेदक का पूरा नाम :
(बड़े अक्षरों में)

2– जन्म तिथि :

3– निवास का पूर्ण पता :
(क) वर्तमान
(ख) स्थाई

4– धर्म

5– जाति

6– उपजाति :

7– उपजीविका – वर्ग

8– अ.पि.व. की राज्य सूची में जाति का क्रम संख्यांक :

9– पिता का नाम

10– माता का नाम :

11– पति का नाम

12– माता–पिता/पति की प्रास्थिति

	पिता	माता	पति
[क] संवैधानिक पद			
[ख] पद नाम			
[ग] सरकारी सेवायें			

	पिता	माता	पति
(i) सेवा (केन्द्रीय/राज्य)			
(ii) पद नाम			
(iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।			

D/Ankesh/Cast Certificates

(iv) पद पर नियुक्ति की तारीख
(v) वर्ग/पद पर पदोन्नति के समय
आयु (यदि लागू न हो)
(II) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त
राष्ट्र, यूनीसैफ, विश्व स्वास्थय संगठन में नियोजन
(i) संगठन का नाम
(ii) पद नाम
(iii) सेवा की कालावधि
(दिनांक .... से .... तक)
(III) मृत्यु/स्थाई अक्षमता (यदि लागू हो तो
छोड़ दीजिए)
(i) मृत्यु/अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।
(ii) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा
(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन
(i) संगठन का नाम
(ii) पद का नाम
(iii) पद पर नियुक्ति की तारीख
(घ) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल

(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगें)
(i) पद नाम
(ii) वेतनमान
(ङ) व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति।
(i) उप–जीविका/वृत्ति
(च) सम्पत्ति के स्वामी

(छ) कृषि जैसे (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)
(1) अवस्थिति
(2) जोत का आकार
(3) क – सिंचित
सिंचित भूमि का प्रकार
1.
2.
3.

(ख) असिंचित।

4. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।

5. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो–राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।

6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

(ग) बागान

1 फसल/फल

2 अवस्थिति

3 बागान का क्षेत्र

(घ) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और/या भवन

1 सम्पत्ति की अवस्थिति।

2 सम्पत्ति का ब्यौरा

3 उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

(ड) आय/धन।

(च) 1 समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)

2 क्या करदाता है (हां/नहीं) ( ) यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे।

3 क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां/नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)

(छ) अन्य कोई अभ्युक्तियां।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उर्पयुक्त विशिष्टीयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गो की क्रिमीलेयर का नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्युक्ति, नियुक्ति रद्दीकरणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होउंगा जो विधि और या नियमों के उपाबधित की जायें।

भवदीय,

स्थान

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

D/Ankesh/Cast Certificates

परिशिष्ठ –ख

फोटो

रजिट्रेशन ....   दिनांक :

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने
के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री / श्रीमती / कुमारी ———————— पुत्र / पुत्री ———————— राजस्थान राज्य के जिला ———————— में ग्राम / नगर ———————— की निवासी हैं तथा ये / और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता / करती / करते हैं।

2. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी ———————— राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी / एसजेईडी / 09 / 47032 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गो की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गो में से ———————— वर्ग / जाति के / की सदस्य हैं।

3. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी ———————— आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना संख्या प / 7(8)कार्मिक / क–2 / 2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का / की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर / सील सहित

*(राज्य के पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

D/Ankesh/Cast Certificates

परिशिष्ठ– ग

फोटो

रजिस्ट्रेशन ....

दिनांक :

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या	

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री / श्रीमती / कुमारी ——————————पुत्र / पुत्री —————— राजस्थान राज्य के जिला —————— में ग्राम / नगर —————— की निवासी हैं तथा ये / और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता / करती / करते हैं।
2. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी —————————— राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी / एसजेईडी / 09 / 46855 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के विशेष पिछड़े वर्गो की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गो में से —————————— वर्ग / जाति के / की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी —————————— आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना संख्या प / 7(8)कार्मिक / क–2 / 2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का / की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर / सील सहित

*(राज्य के विशेष पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

D/Ankesh/Cast Certificates

(83)

परिशिष्ठ–घ

THE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTEMRNT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

AADHAR NO OF APPLICANT	
BHAMASHA CARD NO OF APPLICANT / HEAD OF FAMILY	

This is to certify that Shri/Smt/Kumari .... son/daughter of -- of village/ town .... in District/Division .... in the State/Union Territory .... belong to the .... community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of social justice and Empowernment's resolution no .... dated..........................* Shri/Smt/Kumari .... and/or his/her family ordinarily reside(s) in the .... District/division of the .... the State/Union Territory . This is also to certify that he/she does not belong to the person/section (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the scheduled to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 - Estt (SCT) dated 8.9.1993**

District Megistrate
Deputy Commissioner etc .

Dated:

Seal

---

*The authority issuing the certificate may have to mention the detail of Resolution of Government of india , in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

**As amended form time to time

NOTE :- The term " Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

परिशिष्ट–ड

शपथ–पत्र / बयान

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या

मैं ____ पुत्र / पुत्री श्री ____

निवासी ____

गांव / शहर ____ तहसील ____ जिला ____

राजस्थान का / की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूं कि :

(1) मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य / विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति ____ का / की सदस्य हूं।

(2) मेरे माता / पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह 'क' वर्ग–1, समूह 'ख' वर्ग–2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल / जल / वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं / नहीं थे।

(3) मेरे माता / पिता सरकारी / निजी क्षेत्र में ____ पद पर कार्यरत है / थे।

(4) मेरे माता / पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय ____ रूपये हैं।

(5) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।

(6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(7) यह कि मैंने किसी भी जिले / प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्ठियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गो की क्रिमीलेयर का हूं / नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं, चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता / नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

D/Ankesh/Cast Certificates

(85)

परिशिष्ठ– च

पिछड़ा वर्ग साक्ष्य द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति

(i) गवाह* :

मैं ______ पुत्र/पुत्री श्री ______

निवासी ______

विभाग का नाम ______ कार्यालय का नाम ______

पद ______ पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया ______ पुत्र/पुत्री श्री ______

निवासी ______

को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति ______

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं ______ पुत्र/पुत्री श्री ______

निवासी ______

विभाग का नाम ______ कार्यालय का नाम ______

पद ______ पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया ______ पुत्र/पुत्री श्री ______

निवासी ______

को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति ______

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(86)

परिशिष्ट-ए
83

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

क्रमांक : प.6(10)प्र.सु.वि./अनु.-3/2011 जयपुर दिनांक : 18.3.2011

आदेश

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकास्पद/फर्जी एवं अनधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले रहे है, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने के निर्णय दिये है। अतः ऐसे शंकास्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए निम्नानुसार राज्य स्तरीय छानबीन समिति (State Level Scrutiny Committee) का गठन किया जाता है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, — अध्यक्ष
2. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, — सदस्य
3. शासन सचिव, जनजातीय विकास विभाग — सदस्य

<u>राज्य स्तरीय छानबीन समिति के कार्य</u> (Functions/ Duties of the State Level Scrutiny Committee):-

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निम्न कार्य होंगे:-

1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय समय पर नीति निर्धारित करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
2. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
3. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
4. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
5. गलत प्रमाणपत्र के मामले में नियोक्ता/शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
6. विश्लेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृतियां।
7. शंकास्पद जाति प्रमाणपत्र के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अन्तिम निर्णय करना।
8. विजिलेन्स सैल के सतर्कता अधिकारी को संबंधित जगह पर जांच करने की सूचना देना और उसका ब्यौरा प्राप्त करना।
9. विजिलेन्स सैल के कामकाज/कर्मचारियों की नियुक्ति आदि करना।

P.T.O.-2

(87)

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की शक्तियां (Powers of State Level Scrutiny Committee) :–

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की निम्न शक्तियां होगीः–

1. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए शंकास्पद/फर्जी एवं अनधिकृत रूप से जारी जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे यथावत् रखने या रद्द करने की संपूर्ण शक्तियां समिति को होगी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी रहेगा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद–226 के प्रावधान के तहत की गई कार्यवाही के अध्याधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरणों का निस्तारण जहां तक संभव हो यथाशीघ्र करेगा, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील नही की जा सकेगी। परन्तु संविधान के अनुच्छेद–136 के अध्याधीन प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकेगी।
3. शंकास्पद प्रमाणपत्रों के मामले में बचाव का उचित मौका देना होगा।
4. बचाव की समय–मर्यादा में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
5. पेश किये गये आधार/प्रमाण अमान्य करना।
6. गलत प्रमाणपत्र धारण करने के मामले को नैतिक अधःपतन मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
7. सजा के लिये कानूनी शिकायत दर्ज करवाना।

जो प्रमाण पत्र छानबीन समिति के समक्ष छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनका निस्तारण छानबीन समिति यथासंभव शीघ्र किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नही हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि को कारण अभिलेखित करते हुए अधिकतम छः माह तक और बढ़ा सकेगी।

जाति प्रमाण पत्रों के अभिलेखों का रख–रखाव–

जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिनका संधारण जिस प्रकार से राजस्व प्रकरणों में दर्ज किया जाता है, उसी तरह से जाति प्रमाण पत्रों को भी दर्ज किया जाना चाहिये, जिस कागज में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये, वह अच्छी किस्म का, लेमिनेटेड हो। जाति प्रमाण पत्र की काउण्टर फाइल, अनुक्रमांक, वर्णन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, मुद्रा, तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

(82)

क्रमांक . प.6(10)प्र.सु.वि./अनु–3/2011 जयपुर दिनांक 18.3.2011

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान, लोक सेवा आयोग, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
12. समस्त संभागीय आयुक्त..................।
13. समस्त जिला कलक्टर ....।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक ....।
15. सचिव, समस्त आयोग/बोर्ड ....।
16. उप निदेशक /सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....

नोट : भविष्य में समिति से संबंधित पत्र व्यवहार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से करें।

अनुभागाधिकारी

(89)

परिशिष्ट : बी

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–3)विभाग

क्रमांक प. 6(10)प्र.सु./अनु.3/2011

दिनांक: 23-7-2015

आदेश

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकास्पद / फर्जी एवं अनाधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले रहें है, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने का निर्णय दिये है। अतः ऐसे शंकास्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाता है:–

- जिला स्तरीय

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)	समन्वयक
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा), जिला परीषद	सदस्य
4.	संबधित उप जिला मजिस्ट्रेट / उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
5.	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य

<u>जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्य एवं शक्तियां</u>

1. समिति की बैठक प्रतिमाह आवश्यक रूप से की जावेगी तथा समिति में जो भी मामले प्राप्त होंगे उन सब मामलों का एक रजिस्टर में नियमित रूप से संधारण किया जायेगा। तथा समिति की बैठक आयोजित करने के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होगें।
2. समिति में झूठे, फर्जी एवं शंकास्पद जाति प्रमाण–पत्रो के मामलें दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी कियें गये जाति प्रमाण–पत्रो की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रमाण–पत्र की वैधता/अवैधता के संबध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगीं। तथा उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब संबधित पक्षों को दी जावेगी। नाबालिग की स्थिति मे उसके माता–पिता / संरक्षक को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नही किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

3. जाति प्रमाण पत्रों की सत्यता का परीक्षण करने के समय संबंधित पक्षों तथा शिकायतकर्ता एवं जिसका जाति प्रमाण--पत्र है उसको अपना पक्ष रखनें हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये जा सकेंगें।
4. जाति प्रमाण पत्र के संबध में शिकायतकर्ता एवं वह पक्ष जिसके विरूद्व शिकायत की गयी है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर वह राज्य स्तर छानबीन समिति में जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 6(10) प्र0सु0वि0 / अनु--3 / 2011 जयपुर दिनांक 18.03.11 द्वारा किया गया है।
5. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवायी करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
6. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
7. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (unfit) घोषित करना।
8. गलत प्रमाण पत्र के मामलें में नियोक्ता / शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।

(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:--

1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
5) निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
11) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12) समस्त संभागीय आयुक्त..
13) समस्त जिला कलक्टर..
14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक..
15) सचिव समस्त आयोग / बोर्ड..
16) उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग..........................

शासन उप सचिव

(91)

परिशिष्ट : सी

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1,अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपुर

कमांकः एफ 11(1)( )छा.स./आरएण्डपी/सान्याअवि/12/40560 जयपुर,दिनांकः 04-08-2014

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में राज्य स्तरीय छानबीन समिति की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर निम्न प्रकार से एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिनमें निम्न अधिकारी होगें :–

1. उप निदेशक (पि.जा) मुख्यालय।
2. मुख्यालय में पदस्थापित विधि सहायक/विधि अधिकारी।
3. सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी।
4. सम्बन्धित संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विभाग,जयपुर।

यह प्रकोष्ठ झूठे/शंकास्पद जाति प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं जिला कलक्टर्स से प्राप्त जॉच रिपोर्ट को राज्य स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सम्बन्धित पत्रावली पर अंवलोकनार्थ एव निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगा। इस कार्य हेतु (उप निदेशक, पिछडी जाति) प्रभारी अधिकारी होगें।

(डॉ. मनजीत सिंह) 4/8/14

प्रमुख शासन सचिव

कमांकः एफ 11(1)( )/छा.स./आरएण्डपी/सान्याअवि/12/40561-68 जयपुर,दिनांकः 04-08-2014

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विभाग,जयपुर।
5. उप निदिशक (पिछडी जाति)मुख्यालय।
6. विधि सहायक/विधि अधिकारी, मुख्यालय।
7. आदेश पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव

(92)

(20)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/ 63606-726 जयपुर, दिनांक 20/10/2015

समस्त जिला कलक्टर

परिपत्र
(जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 09.09.15 के संबध में)

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबध में पत्रांक एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/54159 दिनांक 09.09.15 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है।

उक्त दिशा निर्देश जारी होने के पश्चात राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि उक्त दिशा निर्देशों में केवल उपखण्ड अधिकारी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी बनाया गया है जबकि जिलो में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) भी उपखण्ड अधिकारी के स्तर का अधिकारी होता है तथा उपखण्ड अधिकारी के पास अत्याधिक कार्यभार होने के फलस्वरूप सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) को भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये विशेष परिस्थितियों में जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत किया जा सकता है ।

दिशा निर्देश के बिन्दू संख्या D(I) एवं D (II) में वर्णित व्यवस्था के संबध में यदि किसी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र गुम हो जाता है, कट–फट जाता है, या खराब हो जाता है अथवा अपना नाम परिवर्तित कर लेता है, तो पुनः उसे किस आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे, इस संबध में पूर्व में जारी किये गये दिशा निर्देश एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/54159 दिनांक 09.09.15 के बिन्दूओं में निम्नानुसार जोडा जाकर प्रविष्टी की जाती है।

बिन्दू संख्या 2 :– जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी में उपखण्ड मजिस्ट्रेट के साथ विशेष परिस्थितियों में जिला कलक्टर द्वारा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) को भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकेगा।

बिन्दू संख्या 3 D (I) एवं D (II) :– जाति प्रमाण पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रति में निम्नानुसार प्रविष्टि की जाती है।

बिन्दु संख्या 3 D(I) क :– किसी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र गुम हो जाने पर, कट–फट जाने या खराब हो जाने पर पुनः सक्षम अधिकारी द्वारा 3(C) (I) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार संशोधित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा ।

बिन्दु संख्या 3 D(II) ख :– किसी आवेदक द्वारा नाम बदलने पर अथवा अन्य त्रुटि के कारण संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उक्त बिन्दु संख्या 3(C) (I) के अनुसार प्रकिया अपनानी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक्ता होने पर जाति प्रमाण पत्र जारी किये जावें।

(सुदर्शन सेठी) 20.10.2015
प्रमुख शासन सचिव

(87)

No.36011/1/2012-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Establishment Reservation – I Section

North Block, New Delhi-110 001
Dated the 8th October, 2015.

OFFICE MEMORANDUM

<u>Subject:</u> **Reiteration of the instructions on verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for purpose of appointment to posts/services.**

The undersigned is directed to say that as per extant instructions where a candidate belonging to a Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (OBC) is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima-facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim subject to his/her furnishing the prescribed certificate within a reasonable time. Instructions have been issued vide DoPT's letter No.36022/1/2007-Estt.(Res.) dated 20.3.2007 to the Chief Secretaries of all States/UTs for streamlining the system of verification of caste certificates so that unscrupulous non-SC/ST/OBC persons are prevented from securing jobs meant for SCs/STs/OBCs by producing false certificates. Timely and effective verification of caste status is necessary so that the benefit of reservation and other scheme of concessions etc. go only to the rightful claimants.

2. In this regard, attention is invited to the instructions contained in the following Office Memoranda/Orders issued by this Department from time to time. A copy each of the Office Memoranda is enclosed:-

(i) OM No. 36019/7/75-Estt. (SCT) dated 31.10.1975
(ii) OM No. 36011/16/80 – Estt. (SCT) dated 27.02.1981
(iii) OM No. 36011/3/2005-Estt. (Res.) dated 09.09.2005
(iv) OM No. 36012/6/88-Estt.(SCT) dated 24.4.1990

3. Instances have been brought to the notice of this Department that despite the aforesaid instructions, the appointments of the candidates belonging to SC/ST/OBC communities are with-held/delayed due to pending caste certificates verification.

contd/-

4. It is, therefore, reiterated that in the situation where a candidate belonging to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima-facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim subject to his/her furnishing the prescribed certificate within a reasonable time and if there is genuine difficulty in his/her obtaining a certificate, the appointing authority should itself verify his/her claim through the District Magistrate concerned.

5. All Ministries/ Departments are requested to bring the contents of this O.M. to the notice of all concerned.

G. S[signature]
(G. Srinivasan)
Deputy Secretary to the Government of India

To:

1. The Secretaries of all Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Financial Services, New Delhi
3. Department of Public Enterprises, New Delhi
4. Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhavan, New Delhi
5. Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/Election Commission of India/ Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission
6. Staff Selection Commission, CGO Complex. Lodhi Road, New Delhi
7. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi
8. National Commission for SCs/National Commission for STs, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
9. National Commission for Backward Classes, Trikoot- I, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi
10. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10 Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi – 110 002
11. Information and Facilitation Center, DoPT, North Block, New Delhi.
12. Director, ISTM, Old JNU Campus, Olof Palme Marg, New Delhi 110067
13. NIC, DoPT – to upload the same on DoPT Website.

No. 36011/1/2012-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Establishment Reservation – I Section
*****

North Block, New Delhi-110 001
Dated March 14, 2016

To,

The Chief Secretaries of all States/UTs

Subject: Reiteration of the instructions on streamlining the procedure for verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for purpose of appointment to posts/services – regarding

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Department's letter no. 36022/1/2007–Estt. (Res.) dated 20.03.2007 addressed to Chief Secretaries of all States/UTs (copy enclosed) regarding streamlining of the process for verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs). It was also requested to issue instructions to District Magistrates/District Collectors/ Deputy Commissioners to ensure at their own level the veracity of caste certificates so that unscrupulous non-SC/ST/OBC persons are prevented from securing jobs meant for SCs/STs/OBCs by producing false certificates.

2. Owing to difficulties faced by candidates belonging to these reserved communities in various states in securing employment due to delays in obtaining caste certificates, this Department, vide an Office Memorandum of even number dated 08.10.2015, has re-iterated the instructions on providing provisional appointment to such reserved category candidates who are unable to obtain an appropriate caste certificate in time. It has been reiterated therein that where a candidate belonging to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Class is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima-facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim, subject to his/her furnishing the prescribed certificate within a reasonable time. If there is genuine difficulty in his/her obtaining a certificate, the appointing authority should itself verify his/her claim through the District Magistrate concerned. A copy of the OM is enclosed for reference and perusal.

3. In order to ensure that the candidates belonging to reserved categories do not face unnecessary problems in obtaining caste certificates, it is requested that instructions issued to the concerned authorities in the light of the aforementioned letter dated 20.03.2007 may be reiterated for information/compliance of all concerned

4. It is also advised that in order to discourage unscrupulous activities, State Governments/UTs may consider issue of appropriate instructions for initiating disciplinary proceedings against the errant officers who default in timely verification of caste certificates or who issue false certificates.

Encl: as above

Yours faithfully,

G. Srinivasan

(G. Srinivasan)
Deputy Secretary to the Government of India

Copy to:

Dir, NIC, DOPT - for placing it on the website of this Department for information of all concerned.

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.3)विभाग

क्रमांक प.6(10)प्र.सु./अनु–3/2011 दिनांक 18.10.2016

आदेश

अनुसूचित जाति /जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकाप्रस्द, फर्जी/झूठा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य सुविधायों का लाभ ले रहे है जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते है। इस संबध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक प.6(10)प्र.सु.वि./अनु–3/2011 दिनांक 18.03.2011 द्वारा राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया था परन्तु उक्त क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 15574/2013 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के अनुपालना मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुमारी माधुरी पाटील व अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त जनजातिय विकास व अन्य प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पारित निर्देशों के अनुसरण में शंकाप्रस्द, फर्जी/झूठा जाति प्रमाण पत्रो को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये राज्य स्तरीय छानबीन (State level Scrutiny Committee)समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
2. आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
3. सचिव, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग (जहॉ प्रकरण का संबध अनुसूचित जाति से है) /राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग। (जहॉ प्रकरण का संबध अनुसूचित जनजाति से संबधित है)	सदस्य (सामाजिक स्तर/ जनजाति समुदाय से विज्ञधिकारी)

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के कार्य (Functions/Duties of State level Scrutiny Committee):–

1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय–समय पर नीति निर्धारण करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
2. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
3. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
4. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
5. गलत प्रमाण पत्रों के मामलें में नियुक्ता /शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
6. विश्लेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृतियां।
7. शंकास्पद जाति प्रमाण पत्र के मामलें में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अतिंम निर्णय करना।
8. विजिलेन्स सैल के सर्तकता अधिकारी को संबधित जगह पर जॉच करने की सूचना देना एवं उसका ब्यौरा प्राप्त करना।
9. विजिलैन्स सैल के कामकाज/कर्मचारियों की नियुक्ति आदि करना।

राज्य स्तरीय छानबीन सचिमति की शक्तियां (Power of State level Scrutiny Committee):–

1. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये शंकाप्रस्द, फर्जी/झूठा एवं अनधिकृत रूप से जारी जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे यथावत रखने या रद्द करने की सम्पूर्ण शक्तियां समिति को होंगी।
2. अनुसूचित जाति /जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये जारी जाति प्रमाण पत्र के संबध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिंम और बाध्यकारी रहेगा। यह

(98)

निर्णय भारत के सविंधान के अनुच्छेद–226 के प्रावधान के तहत की गयी कार्यवाही के अध्याधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरणों का निस्तारण जहां तक संभव हो यथाशीघ्र करेगा, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील नही की जा सकेगी। परन्तु संविधान के अनुच्छेद–136 के अध्याधीन प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकेगी।

3. शंकास्पद प्रमाणपत्रों के मामलें में बचाव का उचित मौका देना होगा।
4. बचाव की समय–मर्यादा में बढोतरी की जा सकती है।
5. पेश किये गये आधार/प्रमाण अमान्य करना।
6. गलत प्रमाण पत्र धारण करने के मामलें को नैतिक अधःपतन मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैर लायक (Unfit) घोषित करना।
7. सजा के लिये कानूनी शिकायत दर्ज करवाना।

जो प्रमाण पत्र छानबीन समिति के समक्ष छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनका निस्तारण छानबीन समिति यथासंभव शीघ्र किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नही हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि को कारण अभिलेखित करतें हुये अधिकतम छः माह तक और बढा सकेगी।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

18/10/12

(डॉ. प्रेम सिंह चारण)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:–

1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) सचिव प्रथम व सचिव द्वितिय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर
5) निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
11) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12) समस्त संभागीय आयुक्त..
13) समस्त जिला कलक्टर..
14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक..
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड..
16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग..........................

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट–3/7201 जयपुर दिनांक 21/02/2017

परिपत्र

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किये जा रहे है तथा राज्य के समस्त अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदको द्वारा स्वंय के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ई–मित्रों के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित किये जाते है। इन आवेदकों में विद्यालय स्तर में अध्ययनरत कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा या उनके अभिभावकों के माध्यम से उक्त आवेदन पत्र प्रेषित किये जाते है, जिससे विद्यार्थियों को काफी असुविधा महसूस होती है।

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशंन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 36028/1/2014– संस्थापन दिनांक 06.05.2016 (प्रति सलंग्न) के अनुसार राज्य के विद्यालयों में कक्षा 5 या 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति /जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग/ विशेष पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र विद्यालय के स्तर पर जारी किये जाने हैं।

उक्त निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों को आरक्षण के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार से सुविधाऐं प्राप्त हो सकें एवं विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो।

उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1. विद्यालय के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ विशेष पिछडा वर्ग के कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वर्ष में एक बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्कूल स्तर पर ही भरवायें जायेगे।
2. आवेदन पत्र विद्यार्थी से भरवाए जाते समय संबन्धित स्कूल प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि निर्धारित आवेदन पत्र की रामस्त प्रविष्टियाँ सही– सही भरें ताकि विद्यार्थी को सही जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टि अंकित कर देने से गलत प्रविष्टि के आधार पर गलत जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकता है जिससे विद्यार्थी को भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड सकता है । विद्यार्थी के सम्बन्ध में आवोदन पत्र में वांछित जानकारियों की सत्य प्रविष्टि करवाने की जिम्मेदारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक की रहेगी।
3. उक्त दस्तावेजों को बनवाने के लिये सितम्बर/अक्टुबर माह में कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा उक्त दस्तावेजो को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई–मित्र/सी.एस.सी केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

100

5. सक्षम प्राधिकारी उक्त आवेदनों की नियमानुसार जाँच कर समयावधि 30–60 दिवस में प्रमाण पत्र जारी करेगें तथा यदि किसी विधार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना कारण सहित प्रधानाध्यपक/प्राचार्य को दी जावे एवं प्राधानाध्यपक/प्राचार्य द्वारा नियमानुसार इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी को अपील की जावे।
6. जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा विद्यार्थीयों को सुरक्षित सेलोफैन कवर(Cellophane Cover) में उपलब्ध करवा दिया जावे तथा एक प्रति संबधित वर्ग के छात्र–छात्राओं को लाभ/रियायतें/सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विधालय में सुरक्षित रखी जावें।

अतः राज्य में संचालित समस्त सरकारी/गैरसरकारी विद्यालयों के प्राचार्यो/प्रधानाध्यापक उक्त आदेश के अनुसरण में उपरोक्त वर्णित प्रक्रियान्तर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी करवायेंगे।

यह परिपत्र शिक्षा विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय
17/2
(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट–3/7202-75 जयपुर दिनांक 21/02/2017
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर ....
6. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(मुख्यावास) को ई–मेल करवाने बाबत्।
8. रक्षित पत्रावली

(रवि जैन)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

101

राजस्थान सरकार

[redacted]क न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर

क्रमांक:एफ11( )/SC/ST/OBC/SBC/R&P/DDBC/SJED/2012/10232-65 जयपुर, दिनांक 03-3-17

समस्त जिला कलक्टर

....

विषयः– जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 की पालना सुनिश्चित करते हुए केवल ऑनलाईन सिस्टम से ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य के कुछ जिले में कुछ उपखण्ड अधिकारियों द्वारा वर्तमान में ऑफलाईन जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा धानका, नायक जाति नाम से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 20.09.1976 के प्रतिकूल है। इसके अलावा यह भी अवगत कराया गया है कि जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों का रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है जो कि अनुचित है।

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र दिशानिर्देश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.2015 एवं 63706–726 दिनांक 20.10.2015 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो पूर्व में ही भिजवाये जा चुके हैं तथा विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

अतः पुनः जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र दिशानिर्देश दिनांक 09.09.2015 एवं 20.10.2015 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए ऑनलाईन जारी किये जावें ताकि भारत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में अंकित जाति नाम से ही पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्राप्त हो तथा जारी किए गए उक्त प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकार्ड में रखना सुनिश्चित करें।

(अशोक जैन)
अति. मुख्य सचिव

96

102

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट–3 31927 जयपुर दिनांक 05/06/2017

संशोधित परिपत्र

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट–3/7201 जयपुर दिनांक 21.02.2017 द्वारा समस्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त परिपत्र में यह और सम्मलित किया जाता है कि–

"जाति प्रमाण पत्र यथा संभव कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी को जारी किया जावेगा। यदि अपरिहार्य कारणों से किसी विद्यार्थी का उक्त जाति प्रमाण पत्र कक्षा 5 में जारी नहीं हो पाता है तो ऐसे विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र कक्षा 8 में भी जारी किया जा सकेगा।"

अतः राज्य में संचालित समस्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक परिपत्र क्रमांक 7201 दिनांक 21.02.2017 में वर्णित प्रक्रिया अन्तर्गत ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।

यह संशोधन शिक्षा विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट–3 31928-32000 जयपुर दिनांक 5/6/17

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर ....
6. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(मुख्यावास) को ई–मेल करवाने बाबत्।
8. रक्षित पत्रावली

(डॉ0 समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट–3/7201 जयपुर दिनांक 21/02/2017

परिपत्र

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किये जा रहे है तथा राज्य के समस्त अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदको द्वारा स्वंय के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ई–मित्रों के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित किये जाते है। इन आवेदकों में विद्यालय स्तर में अध्ययनरत कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा या उनके अभिभावकों के माध्यम से उक्त आवेदन पत्र प्रेषित किये जाते है, जिससे विद्यार्थियों को काफी असुविधा महसूस होती है।

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशंन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 36028/1/2014– संस्थापन दिनांक 06.05.2016 (प्रति सलंग्न) के अनुसार राज्य के विद्यालयों में कक्षा 5 या 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति /जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग/ विशेष पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र विद्यालय के स्तर पर जारी किये जाने हैं।

उक्त निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों को आरक्षण के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार से सुविधाऐं प्राप्त हो सकें एवं विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो.।

उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1. विद्यालय के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ विशेष पिछडा वर्ग के कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वर्ष में एक बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्कूल स्तर पर ही भरवायें जायेगे।
2. आवेदन पत्र विद्यार्थी से भरवाए जाते समय संबन्धित स्कूल प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि निर्धारित आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ सही– सही भरें ताकि विद्यार्थी को सही जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टि अंकित कर देने से गलत प्रविष्टि के आधार पर गलत जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकता है जिससे विद्यार्थी को भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड सकता है । विद्यार्थी के सम्बन्ध में आवोदन पत्र में वांछित जानकारियों की सत्य प्रविष्टि करवाने की जिम्मेदारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक की रहेगी।
3. उक्त दस्तावेजों को बनवाने के लिये सितम्बर/अक्टुबर माह में कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रधानाघ्यापक/प्राचार्य द्वारा उक्त दस्तावेजो को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई–मित्र/सी.एस.सी. केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

5. सक्षम प्राधिकारी उक्त आवेदनों की नियमानुसार जाँच कर समयावधि 30–60 दिवस में प्रमाण पत्र जारी करेगें तथा यदि किसी विधार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना कारण सहित प्रधानाध्यपक/प्राचार्य को दी जावे एवं प्राधानाध्यपक/प्राचार्य द्वारा नियमानुसार इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी को अपील की जावे।
6. जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद प्रधानांध्यापक/प्राचार्य द्वारा विद्यार्थीयों को सुरक्षित सेलोफैन कवर(Cellophane Cover) में उपलब्ध करवा दिया जावे तथा एक प्रति संबधित वर्ग के छात्र–छात्राओं को लाभ/रियायतें/सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विधालय में सुरक्षित रखी जावें।

अतः राज्य में संचालित समस्त सरकारी/गैरसरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापक उक्त आदेश के अनुसरण में उपरोक्त वर्णित प्रक्रियान्तर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी करवायेंगे।

यह परिपत्र शिक्षा विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

17/2

(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट–3/7202–75 जयपुर दिनांक 21/02/2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर ....
6. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(मुख्यावास) को ई–मेल करवाने बाबत्।
8. रक्षित पत्रावली

(रवि जैन)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

No. 36028/1/2014-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Establishment – Reservation (I) Section

North Block, New Delhi
Dated: 06.5.2016

To,

The Chief Secretaries of all the States /Union Territories

Subject: Issue of SC/ST/Residence Certificate in School

****

Madam/Sir,

The Residence/Domicile Certificate is generally issued by the concerned authority of the State Government/Union Territory to prove that the person bearing the Certificate is a domicile/resident of the State/Union Territory by which the certificate is being issued. Such certificate is issued as proof of residence to avail Domicile/Resident quotas in educational institutional and in the State/Central Government services, as also in the case of jobs where preference to local residents is available as per government instructions from time to time.

2. The administrative responsibility of issue of residency and caste certificate is with the State Governments/Union Territories.

3. Government of India is examining the possibility of issue of 'Caste Certificate' and the 'Residence /Domicile Certificate' of the students from SC/ST communities all over the country when they are in Class V or Class VIII.

4. A suggestion has been made that the Head Master/Principal of the School in which the student is studying can get the necessary documents/papers filled up from the students, get them collected and submit them to the relevant State Government authority for making the requisite certificates. When the certificates are made, these can be given to the students and would be kept with them for safe custody to avail the benefits/concessions and facilities available to the concerned category of students.

4. In order to facilitate a uniform procedure, as a citizen friendly initiative, an advisory as per **Annexure** has been prepared and being circulated to all the States/Union Territories for their consideration, as far as practicable.

5. It is requested that the State Governments/UTs may consider issue of appropriate instructions either based on these guidelines or according to their own convenience, in facilitating issue of such certificates.

Yours sincerely,

G. Srinivasan

(G. Srinivasan)
Deputy Secretary to the Government of India

Copy to:

(i) Secretary, Elementary Education, All States/Union Territories
(ii) Secretary, Department of Welfare of SC/ST, All States/Union Territories

Copy to Director (NIC), DOP&T – with a request to place it on the website of this Department for information of all concerned

Annexure

Advisory to States/Union Territories on issue of Residence/Caste/Tribe Certificate to students in School

The Government is committed to ensuring citizen centric governance through citizen friendly initiative. A number of representations have been received by this department regarding difficulties faced by Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates and other than SC/ST students, in obtaining caste/tribe/residence certificates, while applying for admission, posts and services under the Central Government.

Issue of residence/caste/tribe certificate is under the domain of the State/UT administration. The Residence /Caste/Tribe Certificate is issued by the concerned authority of the State Government/Union Territory to prove that the person bearing the Certificate is a resident of the State/Union Territory by which the certificate is being issued.

This issue has been deliberated at various fora. The Department of School Education & literacy, Ministry of Human Resources Development has supported the initiative to prepare and distribute caste certificate to the students when they are in Class V.

This issue has also been discussed with the Principal Secretaries of various State Governments in a meeting chaired by the Minister of State for Personnel (Public Grievances & Pensions) on 22.04.2016. During this meeting, a few States have informed that they are already issuing such certificates.

Caste/Tribe/Residence Certificate to SC/ST students

- With a view to ease the difficulties faced by the SC/ST students, it is proposed that " Caste or Tribe Certificate" and also the " Residence" certificate may be issued to SC/ST students, all over the country, while studying in Class V/Class VIII, as an annual exercise.

- The concerned State/Union Territory may decide the possibility of issuing such a certificate either in class V or Class VIII.

- Once the grade of class in which the certificate will be issued is decided, it should be issued to all students in the same grade throughout the State and the same should be continued as an annual exercise.

Residence certificate

- For students of other than SC/ST communities, it is proposed that Residence (Domicile Certificate) be issued to them while studying in Class V or VIII, as the case may be.

G Srinivasan

Proposed Procedure

- The Head Master of the School in which the student is studying would get the necessary documents/papers filled up from the students studying in Class V/VIII as an annual exercise for issue of Residence and also Caste/Tribe Certificate.

- A window of two months in September/October or any other time frame decided by the concerned State Government/Union Territory may be allocated/ decided for completing this exercise.

- The School Head/Principal will get the documents collected from all the SC and ST students and also other than SC/ST students and arrange to submit them to the relevant State Government authority/revenue authorities for making the requisite certificates.

- The concerned revenue/State Government authorities may scrutinise those documents and may issue the relevant certificates within a period of 30-60 days.

- If the certificate of any student is rejected for issue of the relevant certificate, reasons will be provided and provision for one time appeal may be allowed by the State authorities.

- Once the certificate is made, it may be given to the students in cellophane cover, as far as practicable, through the School authorities and would be kept with them for safe custody for availing the benefits/concessions and facilities available to the concerned category of students.

- The possibility may also be explored to indicate the Scheduled Caste/Scheduled Tribe status in the Birth certificate.

- In States where acceptance for SC/ST/Domicile certificate is mandatorily done only through Citizen Service Centres, it will be responsibility of the Headmaster of the school for collection of the documents and ensuring that the application is digitally sent to the concerned authorities from the nearest Citizen Service Centres. If there is already a time limit prescribed by the State authorities through executive order or regulation for issuing such certificates, then such time frame may be adhered to.

*****

राजस्थान सरकार

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/पार्ट–ii /जा.प्र.प/सान्याअवि/12/ 37363 जयपुर दिनाक 30/06/17

परिपत्र

विषय :– जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील पिटिशन संख्या 5854/1994 कुमारी माधुरी पाटील बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर सिविल पिटिशन संख्या 15574/2013 व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों की अनुपालना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में समस्त जिला कलेक्टर्स एवं सक्षम अधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.2015 एवं क्रमांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुसरण में ही नियमानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सूची में अधिसूचित की गयी जातियों की वर्तनी (Spelling) के अनुसार ही आवेदको की वास्तविक जाति का परीक्षण एवं जॉच पडताल पश्चात ही सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ जिलों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये विभिन्न पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देशों की अनुपालना ठीक तरह से नही की जा रही है एवं अधिसूचनाओं में वर्णित जाति की वर्तनी (Spelling) का ठीक प्रकार से अवलोकन नही किया जा रहा है जिसके कारण त्रुटिवश किन्ही व्यक्तियों को गलत जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकते है, विशेषतौर से जाति या समुदाय के नाम में 'ध्वन्यात्मक समानता' (Phonetic similarity) होने के कारण अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसके सबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशीत किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व आवेदक की जाति की भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओ मे अकित

(110)

वर्तनी (Spelling) की उसके स्वय/ पैतृक राजस्व रिकार्ड या आवश्यकता होने पर अन्य रिकार्ड यथा ग्राम पचायत/नगरपालिका के रिकार्ड इत्यादि में पूर्णतया पुष्टि होने के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये उपरोक्त दिशा निर्देश एवं विभिन्न पत्र/परिपत्र के अनुसरण में ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। गलत जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र के संबध में संबधित प्राधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी जिसके लिये वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

साथ ही शंकास्पद एवं झूठे जाति प्रमाण पत्र की शिकायतो के निस्तारण के संबध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(10) प्र.सु./अनु.3/2011 दिनांक 23.07.2015 द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय छानबीन एवं सर्तकता समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में दर्ज समस्त प्रकरणो का निर्धारित समयावधि में निर्णय किया जाए।

27/6

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/पार्ट–ii /जा.प्र.प/सान्याअवि/12/ 37364-650 जयपुर दिनांक 30/06/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित हैः–

1) समस्त संभागीय आयुक्त..........
2) समस्त जिला कलक्टर..........
3) समस्त उपखण्ड अधिकारी..........
4) समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग..........
5) एसी.पी. मुख्यावास को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
6) गार्ड फाईल

(डॉ.समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

(105)

(111)

राजस्थान सरकार

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक एफ 11 (125)/आरएण्डपी/सकवि/ 5353 जयपुर, दिनांक 23/1/2018

समस्त जिला कलक्टर्स

....

विषयः– दरोगा, वजीर, हजुरी, रावणा–राजपूत को ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अधिसूचना एफ 11 (125)/आरएण्डपी/सकवि/52307 दिनांक 06.08.1994 द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछडा वर्ग की सूची में क्रम संख्या 11 पर दरोगा, रावणा–राजपूत, हजूरी एवं वजीर को अधिसूचित किया गया था। राज्य पिछडा वर्ग आयोग के राय के अनुसार उक्त अधिसूचित जातियों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछड़े वर्गो की सूची उनके सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें जाति, वर्ग द्वारा किये जाने वाला व्यवसाय तथा उनके निवास का स्थान महत्वपूर्ण होता है तथा एक ही वर्ग के सदस्यों को राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी संबोधित किया जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि एक वर्ग के रूप में जो जातियां अधिसूचित है वे उसी वर्ग की अलग अलग नाम से पुकारी जाने वाली जातियां हैं तथा उस वर्ग का सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन समान है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त जाति यथा वजीर, हजूरी, दरोगा, रावणा–राजपूत चारों एक ही वर्ग की जातियां हैं और ये सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में पूर्व से अधिसूचना 6 अगस्त 1994 द्वारा कम संख्या 11 पर अधिसूचित हैं।

अतः क्र.स. 11 पर अंकित उक्त जातियों को यथावत रखते हुये पुर्व में उल्लेखित वर्गो को स्वीकारते हुए रावणा–राजपूत के अलावा जाति प्रमाण पत्र में वजीर(रावणा–राजपूत), हजूरी(रावणा–राजपूत), दरोगा (रावणा–राजपूत) अंकित किया जा सकता है।

23/1/2018

(जे.सी. महान्ति)

अति0 मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर

क्रमांक:एफ11(8)( )/R&P/DDBC/SJED/2018/ 12733-65 जयपुर, दिनांक 15/02/2018

समस्त जिला कलेक्टर्स,

....।

विषयः– अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में माईग्रेट होकर आये व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अन्य राज्यों से माइग्रेट व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्राप्त पत्र एवं जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भेजकर लेख है कि उक्त पत्र के अनुसरण में माइग्रेट व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करनें हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

F.No. 12015/02/2017-C&LM

Government of India

Ministry of Tribal Affairs

(C&LM Division)

*****

Dated: .01.2018

10/01/2018

To,

Chief Secretaries of all State Governments / UT Administrations.

Subject: Issue of Scheduled Tribe Certificates to migrants from other States/UnionTerritories.

Sir,

I am directed to refer to the subject citied above and to state that the National Commission for Scheduled Tribes has brought to the notice of this Ministry that they have been receiving complaints from the Scheduled Tribe individuals and their Associations regarding denial to issue Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Certificates to migrants from other States/Union Territories who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education etc. by designated authorities. It has also been pointed out by them that the State Governments/ UT Administrations have not issued any instructions to the issuing authorities for providing such certificates to the migrants from other States/UTs, despite the fact that Ministry of Home Affairs has at several times in the past issued instructions in this regard. A copy of a letter No. Policy/3/CC/2017/RU-III dated

(108)

114

2? 11.2017 received from National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in this regard is enclosed.

2. In this connection a copy of instructions issued by Ministry of Home Affairs vide a No. BC-16014/1/82-SC & BCD-I dated 22.02.1985 regarding 'Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates to migrants from other States/Union Territories' is enclosed herewith. It is requested that these instructions may be circulated to the Authorities issuing Scheduled Tribe Certificate in your State and suitable directions issued to them for strict compliance so as to remove the difficulties faced by migrant Scheduled Tribe persons in obtaining Scheduled Tribe Certificate.

(Shyla Titus)

Deputy Secretary to Govt. of India

Tel. 2618 2824

Encl: as above.

Signature valid

Digitally signed by SH LA TITUS
Date: 2 01.1 :59:47 PST
Reason: Ap ed

109

115

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

छठी मंजिल, बी विंग, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली – 110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi - 110003

No.Policy/3/CC/2017/RU-III

Dated 29.11.2017

FTS No. 70168 /Secy.(TA)
Date 6.12.17

To,

Secretary,
Ministry of Social Justice and Empowerment,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001

Sub:Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates to migrants from other States/Union Territories.

Sir,

I am to refer to the above subject and to say that this Commission has been receiving complaints from the Scheduled Tribe individuals and their Associations regarding denial to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates to migrants from other States/Union Territories who have migrated from one state to another for the purpose of employment, education etc. by designated authorities.It has been observed that the State Governments/UT Administration have not issued any instructions to the issuing authorities for providing such certificates to the migrants from other States/UTs despite the fact that Govt. of India, Ministry of Home, vide letter no. BC-16014/1/82-SC&BCD-I dated 18-11-1982 had modified the instructions issued in letter no. BC-12025/2/76-SCT I, dated 22-03-1977 and letter No. BC-12025/11/79-SC&BCD I/IV, dated 29-031982 and directed that the prescribed authority of a State Government /Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe Certificate to a person who has migrated from another state, on the production of the genuine Certificate issued to his father/mother by the prescribed authority of the state of the father's/mother's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. It was also clarified that the certificate will be issued irrespective of whether the Caste/Tribe in question is scheduled or not in relation to the State /Union Territory to which the person has migrated and this facility does not alter the Scheduled Caste/Scheduled Tribes status of the person in relation to the one or the other State.

Ministry of Home, vide letter no. BC-16014/1/82-SC&BCD-I dated 06-08-1984 hadfurther revised the form of Scheduled Caste/Tribe Certificate and clarified that the Scheduled Caste/Scheduled Tribe person on migration from the State of his origin to another State will not lose his status as Scheduled Caste/Scheduled Tribes but he will be entitled to the concessions/ benefits admissible to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes from the State of his origin and not from the state where he has migrated. It was also requested that all competent authorities may be advised under intimation to the Ministry to issue the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates on the revised form of certificate henceforth after satisfying themselves of correctness of the certificate

Discussed today. DD
Pl. put up, as discussed
11/12
DSCC (M)

Discussed. Action as at 'X' on next page may be taken. It may also be checked whether NSTC or the Ministry has circulated/reiterated these instructions to State Govts earlier.
11.12
US(C&M)

110

after proper verification based on the revenue records through reliable enquiries. These instructions were reiterated vide Ministry of Home letter of even no dated 22-02-1985 also

As some States/UTs have not issued directions to the authorities issuing SC/ST Caste certificates and in many cases, the Caste certificate issuing authorities are not aware of the above instructions, it is necessary for the Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs to reiterate the above instructions to the Chief Secretaries of all the State governments/UTs administration to remove the difficulty faced by migrant SC/ST persons in obtaining Caste/Tribe certificate.It is requested to issue suitable instructions in this regard under intimation to this Commission.

Yours Sincerely,

29.11.17

(S.K. Ratho)

Joint Secretary to the Government of India

Copy for similar action to:

Secretary,
Ministry of Tribal Affairs,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001

(17)

No. BC-16014 [illegible]

Government of India [illegible] Sarkar

Ministry of Home Affairs Grih Mantralaya

New Delhi, the 22/2/1985

To

The Chief Secretaries of All State Govts. and U.T. Administrations.

Subject:-Issue of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe certificate to migrants from other States/Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes who have migrated from one State to another for the purpose pf employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided to modify the instructions issued in letter No. 12025/2/76-SCT.I dated 22.03.1977 and letter No. 12015/11/79-SC&BCD-I/IV dated 29.03.1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father by the prescribed authority of the State of the father's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the Caste/Tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the Scheduled Caste/Scheduled Tribe status of the person in relation to the one or the other State. The revised form of the Scheduled Caste/Tribe certificate has already been circulated with this Ministry's letter of even number dated 06.08.1984.

2. It is also clarified that a Scheduled Caste/ tribe persons who has migrated from the State of origin to some other State for the purpose of seeking education, employment, etc. will be deemed to be a Scheduled Caste/ tribe of the State of his origin and will be entitled to derive benefits from the State of origin and not from the State to which he has migrated.

3. This letter substitutes this Ministry's letter of even number dated 18.11.1982.

Yours faithfully,

Sd/-

B.K. Sarkar

Joint Secretary

No. BC-16014/1/82-SC & BCD-I

Dated: 22.02.1985

Copy to:-

1. Department of Personnel & A. R. (Est) (SCT Section) with the request that necessary amendment to the brochure on the reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, by incorporating, where necessary, the position started in the foregoing paragraphs may please be made.

2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi.

118

3. Secretary, Staff Selection Commission, CGO Complex, Block No. [illegible]
4. All the Ministries/Departments, Government of India.
5. Secretary, Commission for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
6. Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, R.K. Puram, New Delhi.
7. All the Sections in SC&BCD Division/T.D. Division, Ministry of Home Affairs.
8. All Officers in SC &BCD Division, Shastri Bhawan, New Delhi.

Sd/-
(B.K. Sarkar)
Joint Secretary

113

No. BC-16014/1/82-SC & B...
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, dated the 18th November, 1982

To

The Chief Secretaries to all State Governments/Union Territory Administrations.

Subject:– Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate to migrants from other States/Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided in modification of the instructions issued in letter No. BC-12025/2/76-SCT I, dated 22.03.1977 and letter No. BC-12025/11/79-SC & BCD I/ IV, dated 29.03.1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father/mother by the prescribed authority of the State of the father's/mother's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the Caste/Tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the Scheduled Caste/Scheduled Tribes status of the person in relation to the one or the other State. The revised form of the Scheduled Caste/Tribe certificate is enclosed.

Yours faithfully,
Sd/-
(B.K. Sarkar)
Joint Secretary to the Govt.of India

No. BC-16014/1/82-SC & BCD-I,

Dated the 18th November, 1982.

Copy to:-

1. Department of Personnel & A. R. (Est) (SCT Section) with the request that necessary amendment to the brochure of the reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, by incorporating, where necessary, the position started in the foregoing paragraphs may please be made.
2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi.
3. Secretary, Staff Selection Commission, CGO Complex, Block No.12, Lodi Road, New Delhi.
4. All the Ministries/Departments, Government of India.
5. Secretary, Commission for SC/ST, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
6. Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, R.K. Puram, New Delhi.
7. All the Sections in SC&BCD Division/T.D. Division, Ministry of Home Affairs.

Yours faithfully,
Sd/-
(B.K. Sarkar)
Joint Secretary to the Govt.of India

Form of certificate to be … Scheduled … Sched…
Tribes in support of his claim.

Form of Caste certificate

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari ....son/Daughter of.................ofvillage/town..............................indistrict/Division/Division.................... of the .... State/Union Territory.. belongs to the .... Caste/Tribe which is recognised as Scheduled Caste / Scheduled Tribe under:

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951. *
The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.*
The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the (as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976).
The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.*
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.*
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962*
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.*
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.*
The Constitution (Scheduled Tribes)(Uttar Pradesh) Order, 1967.*
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste Order, 1968.*
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.*
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.*
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.*
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.*

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Shrimati.. father/mother of Shri/Shrimati/Kumari.. Of village/town................ ....in District/Division......................................of the State/ Union Territory..............who belongs to the .... caste/tribe which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe in the State/Union Territory.. issued by the .... (name of prescribed authority) vide their No.......................................dated...

Signature..
Designation......................................
(with seal of Office)

Place.............................. State / Union Territory

Date...................................

**Please delete the words which are not applicable*

No. [illegible] 2025 [illegible]

Government of India [illegible]

Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi-110 001. *Dated. New Delhi, the 22nd March 1977*

To

The Chief Secretaries of All State Governments/Union Territory Administrations.

Subject:-- *Issue of Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates— Clarifications regarding*

Sir,

I am directed to say that many instances have come to the notice of this Ministry wherein certificates of belonging to a particular Scheduled Caste/Tribe have not been issued strictly in accordance with the principles governing the issue of such certificates. This is presumably due to inadequate appreciation of the legal position regarding the concept of the term "residence" on the part of the authorities empowered to issue such certificates.

2. As required under Articles 341 and 342 of the Constitution, the President has, with respect to every State and Union Territory and where it is State after consultation with the Governor of the concerned State, issued orders notifying various Castes and Tribes as Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to that State or Union Territory from time to time. The inter-state area restrictions have been deliberately imposed so that the people belonging to the specific community residing in a specific area, which has been assessed to qualify for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe status, only benefit from the facilities provided for them. Since the people belonging to the same caste but living in different State/Union Territories may not necessarily suffer from the same disabilities, it is possible that two persons belonging to the same caste but residing in different States /U.Ts may not both be treated to belong to Scheduled Caste/Tribe or *vice-versa*. Thus the residence of a particular person in a particular locality assumes a special significance. This residence has not to be understood in the literal or ordinary sense of the word. On the other hand it connotes the permanent residence of a person on the date of the notification of the Presidential Order scheduling his caste/tribe in relation to that locality. Thus a person who is temporarily away from his permanent place of abode at the time of the notification of the Presidential Order applicable in his case, say, for example, to earn a living or seek education, etc., can also be regarded as a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, as the case may be, if his caste/tribe has been specified in that Order in relation to his State/UT. But he cannot be treated as such in relation to the place of his temporary residence notwithstanding the fact that the name of his caste/tribe has been scheduled in respect of that area in any Presidential Order.

3. It is to ensure the veracity of this permanent residence of a person and that of the caste/tribe to which he claims to belong that the Government of India has made a special provision in the proforma prescribed for the issue of such certificate. In order that the certificates are issued to the deserving persons it is necessary that proper verification based primarily on revenue records and if need be, through reliable enquiries, is made before such certificates are issued. As it is only the Revenue Authorities who, besides having access to relevant revenue records are in a position to make reliable enquiries, Government of India insists upon the production of certificates from such authorities only. In order to be competent to issue such certificates, therefore, the authority mentioned in the Government of India (Department of Personnel and Administrative Reforms) letter No. 13/2/74-Est (SCT), dated the 5th August, 1975, (copy enclosed) should be the one concerned with the locality in which the person applying for the certificate and his place of permanent abode at the time of the notification of the relevant Presidential Order. Thus, the Revenue Authority of one District would not be competent to issue such a certificate in respect of persons belonging to another district. Nor can such an authority of one State/UT issue such certificates in respect of persons whose place of permanent residence at the time of the notification of a particular Presidential Order, has been in a different State/Union Territory. In the case of persons born after the date of notification of the relevant

(122) DDBC

Tribes status, is the place of permanent abode of their parents at the [illegible]
Presidential Order under which they claim to belong to such a Caste [illegible]

4. It is understood that some State Governments/Union Territory Administrations have empowered all their Gazetted Officers to issue such certificates and even Revenue Authorities issue certificates on the basis of the certificates issued by Gazetted Officers, M.P.s and M.L.A.s etc. If such a practice if followed, there is a clear danger of wrong certificates being issued, because in the absence of proper means of verification such authorities can hardly assure the intrinsic correctness of the facts stated in such certificates. In order to check the issuance of false certificates, the question of verification assumes all the more importance.

5. All the State Governments/Union Territory Administrations are, therefore, requested to streamline their respective procedures for issuing such certificates so as to conform to the above instructions as well as to those issued from time to time. Where Revenue Authorities have been empowered to issue certificates on the basis of a certificate issued by an M.P., M.L.A, Gazetted Officer, etc., they would do so only after having made proper verifications and after having satisfied themselves of the correctness of such certificates.

Yours faithfully,

Sd/-
(O.R. SRINIVASAN)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 381843

No.BC.12025/2/76-SCT.I

March 1977
Phalguna, 1898

Copy to:-

1. The Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of India, with reference to their U.O.No.D.2014/76-Est (SCT), dated the 8th July 1976. They are requested to make necessary amendments to the brochure on the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by incorporating, where necessary, the position stated in the foregoing paragraphs.
2. Director, Institute of Sectt. Training and Management, West Block No.1, Wing No Ramakrishnapuram, New Delhi-110022 with reference to his letter No.12/4/76-ARRNG, darted the 21st February, 1976.
3. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
4. All Ministries/Departments of the Govt. of India.
5. All Zonal Directors/Deputy Directors.
6. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ramakrishnapuram, New Delhi.

Sd/-
(O.R. SRINIVASAN)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 381843

(123)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, राजमहल रेज़ीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/15265 जयपुर दिनांक 23/2/18

परिपत्र

विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनांक 17.11.2017 में वर्णित राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) अधिनियम 2017 की धारा 2 डी. एफ में अति पिछड़ा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अर्न्तगत पांच जातियों यथा 1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाडिया लोहार, गाडोलिया 3.गुजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी, देबासी 5. गडरिया(गाडरी),गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)/डीओपी/ए–2/2017 जयपुर दिनांक 21.12.2017 के द्वारा अति पिछडा वर्ग को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जिन व्यक्तियों के अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र में यदि उक्त जातियों का अंकन किया गया हो तो उपरोक्त जातियों के व्यक्तियों को उपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/15266-366 जयपुर दिनांक 23/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:–

1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज0
11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
12) समस्त संभागीय आयुक्त........................
13) समस्त जिला कलक्टर........................
14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक........................
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड........................
16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग........................
17) गार्ड फाईल।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

(118)

(124)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/ 15633 जयपुर दिनांक 27/02/18

संशोधित परिपत्र

राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018 के अनुक्रम में, विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनांक 17.11.2017 में वर्णित राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) आरक्षण अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 38/2017) (यथा संशोधित) की धारा 2 डी एवं एफ में अति पिछडा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अर्न्तगत पांच जातियों यथा 1.बंजारा,बालदिया,लबाना 2.गाडिया लोहार, गाडोलिया 3.गुजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी देबासी 5. गडरिया (गाडरी),गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)डीओपी/ए-2/2017 दिनांक 21.12.2017 तथा आदेश क्रमांक प.7 (1)कार्मिक/क-2/2017 जयपुर दिनांक 29.01.2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत अन्य पिछडा वर्ग में अति पिछडा वर्ग की उपरोक्त जातियों को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उभय अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव 27/2

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/ 15634-790 जयपुर दिनांक 27/02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज0
11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
12) समस्त संभागीय आयुक्त..........
13) समस्त जिला कलक्टर..........
14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक..........
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड..........
16) ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबधित को ई-मेल करने बाबत
17) समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास/उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग..........
18) गार्ड फाईल।

(119)

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

125

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:–एफ 11(25)/(12)(13)(14)/ओबीसी/सन्याअवि/12/46236 जयपुर दिनांक 12/06/18

परिपत्र

विषय– पुजारी सेवक के व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पुजारी सेवक जाति वर्ग के व्यक्तियों को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित होने के उपरान्त भी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने मे कठिनाईया उत्पन्न हो रही है ।

इस संबध में तथ्य यह है कि पुजारी सेवक जाति को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अभिशंषा के आधार पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 69435 दिनांक 18.09.2013 द्वारा राज्य की अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सर्वे /अध्ययन कर अभिशंषा रिपोर्ट में पुजारी सेवक जाति के संबध में स्पष्ट किया है कि पुजारी सेवक जाति के लोग मंदिर में सेवा–पूजा, सफाई एवं रख–रखाव का कार्य करते है। पिछड़े वर्ग के अन्य जातियों के तुच्छ कार्य जैसे जन्म मरण व शादियों मे न्योता देने, पानी पिलाने व हलकारे आदि का कार्य भी करते है एवं जाति वर्ग के लोग आटा, दाल, अन्न आदि भी उपासकों से मांग कर जीविका चलाते है इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति ब्राह्मण वर्ग से हेय है।

अतः अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक बीसी 12025/2/76 एससीटीआई दिनांक 22 मार्च 1977 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबधित दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 एवं 20.10.2015 के अनुसरण में जाति की पुष्टि करनी चाहिये।

तथा आवेदक की जाति की पुष्टि हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदक की स्थानीय स्तर की पूछताछ की जा सकती है एवं पूछताछ को लेखन बद्ध किया जाना चाहिये। इस प्रकार आवश्यक्ता होने पर आवेदक की जाति की सम्पूर्ण सामाजिक जॉच (Social investigation) होनी चाहिये । जाति के आवेदन पत्रों मे प्रमाण हेतु जो भी दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उनकी सत्यता की पूर्ण जाच–पड़ताल होना आवश्यक है तथा इनको भी सबूत के तौर पर अभिलेख में लिया जावे।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदक को जारी किया जाने वाला पुजारी रोवक का जाति प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों, अभिलेखो, कथनों एवं रिकार्ड के आधार पर सही है तो आवेदक

द्वारा दावा की गयी पुजारी सेवक का जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करने की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

समस्त तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को स्वंय ज्ञात पूर्ण संतुष्टि के पश्चात (After having complete satisfacation) ही जाति प्रमाण पत्र जारी करना चाहिये।

अतः जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पुजारी सेवक जाति के व्यक्तियों को उपरोक्तानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी कराऐ।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव

क्रमांकः–एफ 11(25)/(12)(13)(14)/ओबीसी/सान्याअवि/12/46237-338 जयपुर दिनांक 12/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
2) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
3) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
4) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
5) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
6) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
7) समस्त संभागीय आयुक्त...
8) समस्त जिला कलक्टर...
9) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.............................
10) ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबधित को ई–मेल कराने हेतु
11) गार्ड फाईल।

(डॉ.समित शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव

127

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक : एफ 11(125)/ओबीसी/नगारची–दमामी/आरएण्डपी/सान्याअवि/2013/48819 जयपुर दिनांक 22-06

स्पष्टीकरण परिपत्र

मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या 32/2018 दिनांक 26.02.2018 की अनुपालना में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(125) ओबीसी/नगारची–दमामी/ आरएण्डपी/सान्याअवि/ 2013/23378 जयपुर दिनांक 27.03.2018 द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़े वर्गो की अधिकृत सूची में क्रम संख्या 56 पर वर्तमान में प्रविष्टी नगारची–दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम) के स्थान पर नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट)[{ इन्ही उपजातीय व अन्य उपजातीय वर्ग नामों से पहचान रखने वाले ढ़ोली जाति/वर्ग के लोगों को छोडकर } तथा इन सभी वर्गो के गैर हिन्दू धर्मावलम्बी (जिसमें मुस्लिम धर्मावलम्बीं भी सम्मिलित है)] को सम्मिलित किया गया है।

उक्त मंत्रीमण्डल आज्ञा एवं अधिसूचना के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित ढ़ोली जाति के कुछ व्यक्ति जो अपनी उपजातीयों के रूप में नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) का उपयोग करते है, को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जाति वर्गो के व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये विभिन्न पत्र, परिपत्रों एवं दिशा निर्देशों के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड नगरपालिका रिकार्ड, पंचायत रिकार्ड, या शैक्षणिक रिकार्ड आदि से आवेदक की जाति की पुष्टि की जा सकती है।

दूसरा यदि ढ़ोली जाति के व्यक्ति अपनी उपजाति के रूप में नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) का उपयोग करते है तथा इस बात का कोई साक्ष्य/सबूत या दस्तावेंज प्रस्तुत करते है जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि उनकी मूल जाति तो अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित ढ़ोली जाति ही है परन्तु उपजाति के रूप में वे नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) जाने पहचाने जाते है तो उन्हें केवल मात्र इस आधार पर ढ़ोली जाति के सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार नही किया जा सकता है कि अन्य वर्ग भी जो ढ़ोली जाति व इन्ही की उपजातीयों से संबधित नही हैं और नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) का नाम अपनी जाति के रूप में प्रयोग करते है व उक्त नामों से ही अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित है।

अतः समस्त सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशीत किया जाता है कि तद्नुसार ढ़ोली जाति की उपजातीय व अन्य उपजातीय वर्ग जैसे नगारची, दामामी, राणा, बायती (बारोट) के नाम से जाने जाते है तथा राजस्व रिकार्ड/ अन्य रिकार्ड में इस तरह का उल्लेख मिलता है तो आवेदन करने पर ढ़ोली जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही करावें।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

P.T.O.

(128)

48860-960

क्रमांक : एफ 11(125)/ओबीसी/नगारची–दमामी/आरएण्डपी/सान्याअवि/2013/ जयपुर दिनांक 22.06.18

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, महामाहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, /सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर/जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
11. सचिव, राजस्थान अधिनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्ष।
13. सयुक्त निदेशक(सिस्टम एनालिस्ट)सूचना प्रौधोगिक और संचार विभाग योजना भवन जयपुर
14. समस्त जिला कलक्टर।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि।
17. समस्त जिलाधिकारी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
18. ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबधित को ई–मेल कराने हेतु
19. गार्ड फाईल।

(डॉ.समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

(123)

PTO